

अध्याय-II
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-II

प्रस्तावना

2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

2.1.1 सामान्य

2.1.1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य सा.क्षे.उ. वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं एवं ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दो¹ सांविधिक निगमों एवं 17 सरकारी कंपनियों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) में 19² सा.क्षे.उ. थे। इन सरकारी कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

2.1.1.2 इस प्रतिवेदन में 30 सितंबर 2019 तक 2014-15 से 2017-18 के वर्ष को छोड़कर नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर वित्तीय निष्पादन शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति एवं लेखाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका-2.1.1.1 में निर्दिष्ट की गई है:

तालिका-2.1.1.1: प्रतिवेदन में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति

सा.क्षे.उ. की प्रकृति	कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि ³ के दौरान प्राप्त हुए					सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 तक बकाया थे (कुल बकाया लेखे)
		2018-19 तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2016-17 से पूर्व के लेखे	कुल	
कार्यशील सरकारी कंपनियाँ ⁴	17	10	3	1	1	15	7 (14)
सांविधिक निगम	2	0	1	-	-	1	2 (2)
कुल	19	10	4	1	1	16	9 (16)

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक की अवधि के दौरान प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित

कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार ₹ 9,318.69 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष

¹ दिल्ली वित्तीय निगम एवं दिल्ली परिवहन निगम

² भा.स. एवं एनडीएमसी द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से 2016-17 में निगमित एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड शामिल है। राराक्षेदिस ने कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है। इसमें अप्रैल 1987 में निगमित इंटेलिजेंट कॉन्सुल्टिंग सिस्टम इंडिया भी शामिल है एवं लेखापरीक्षा दिसम्बर 2018 से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली को सौंपा गया।

³ अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक

⁴ सरकारी सा.क्षे.उ. में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

2018-19 (₹ 7,79,652.31 करोड़) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 1.20 प्रतिशत था। कार्यशील सा.क्षे.उ. को अपने नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार ₹ 3,492.05 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक, राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.30 लाख कर्मचारियों को नियोजित किया था।

उत्तरदायित्व संरचना

2.1.1.3 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 के तहत निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के पास होता है, एवं इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो इस प्रकार की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी⁵ को इस रिपोर्ट में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी की तरह संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, प्रथम लेखापरीक्षक को कंपनी के पंजीयन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है और यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार के लेखापरीक्षक को नियुक्त नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त करना है।

आगे, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-अनुभाग (7)

⁵ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय - (कठिनाईयों का विवरण) सातवाँ आदेश 2014, दिनांक 4 सितंबर 2014

के अंतर्गत शामिल किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक हो, एक आदेश द्वारा इस प्रकार की कंपनी के लेखाओं का लेखापरीक्षण किए जाने हेतु कह सकते हैं एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के प्रावधान इस प्रकार के नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित कोई भी सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या इससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

2.1.1.4 सरकारी कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत अन्य बातों को शामिल करते हुए वित्तीय विवरणों के अलावा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होंगे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, उनसे संबंधित कानूनों के अधीन होता है। दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प., दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक होता है। दिल्ली वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा का संचालन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है एवं पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे को प्रस्तुत करना

2.1.1.5 समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जाती है एवं जितनी जल्द

हो सके ऐसी तैयारी के पश्चात् राज्य विधान मंडल के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ एवं नि.म.ले.प. द्वारा इस पर की गई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक को रखा जाएगा। सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले संबंधित अधिनियमों में करीब-करीब समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख और अगली के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए एजीएम में रखा जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दण्ड लगाने का प्रावधान है।

सरकार एवं विधानसभा की भूमिका

2.1.1.6 सरकार अपने प्रशासनिक विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यपालक एवं बोर्ड के निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखाओं व उपयोगिता की भी निगरानी करता है। इसके लिए, राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों, और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अधिनियम 2019 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राराक्षेदिस द्वारा निवेश

2.1.1.7 राराक्षेदिस की इन सा.क्षे.उ. में उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है। यह मुख्यतः दो प्रकार की है:

- **शेयरपूँजी व ऋण-** शेयरपूँजी के योगदान के अतिरिक्त, राराक्षेदिस समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋण के रूप में भी वित्तीय सहायता देती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** राराक्षेदिस जब कभी आवश्यकता हो सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान करती है।

2.1.1.8 31 मार्च 2018 तक सा.क्षे.उ. में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका-2.1.1.2 में दिया गया है:


तालिका-2.1.1.2: 31 मार्च 2019 तक सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ ⁶	सांविधिक निगमों	कुल	निवेश ⁷ (₹ करोड़ में)		
				इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
विद्युत	4	-	4	7,106.78	2,709.81	9,816.59
वित्त	1	1	2	51.38	33.92	85.30
सेवा	3	-	3	24.04	2.14	26.18
अवसंरचना	2	-	2	21.00	0	21.00
परिवहन	1	1	2	1,994.50	11,676.14	13,670.64
कुल	11	2	13	9,197.70	14,422.01	23,619.71

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

2.1.1.9 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को नीचे दिए गए चार्ट-2.1.1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1.1.1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

विद्युत क्षेत्र में 2014-15 और 2018-19 के बीच कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 9,816.59 करोड़ और ₹ 10,946.09 करोड़ के बीच,

⁶ एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इंटेलिजेंट कॉम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिंकर लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. मॉटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को और दि.रा.औ.अ.वि.नि. ऊर्जा लिमिटेड को छोड़कर जिसमें राराक्षेदिस द्वारा कोई निवेश नहीं किए गए।

⁷ निवेशों में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

परिवहन विभाग में ₹ 13,670.64 करोड़ और ₹ 13,733.64 करोड़ के बीच तथा अन्य क्षेत्र (वित्त, सेवा एवं अवसंरचना) सहित ₹ 125.07 करोड़ और ₹ 132.48 करोड़ के बीच था।

विद्युत क्षेत्र में निवेश के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इस रिपोर्ट के भाग I⁸ में पाँच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. एवं प्रतिवेदन के भाग II⁹ में 14 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

2.1.1.10 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के लिए, प्रतिवेदन के भाग-III में शामिल किए गए चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराओं (बवाना एवं नरेला औद्योगिक क्षेत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर एक लंबा पैरा सहित) को संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जवाब प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया गया। सरकार से सभी अनुपालन लेखापरीक्षा पैराओं पर जवाब प्राप्त हुए हैं तथा पैरों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। इन चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 30.23 करोड़ का है।

⁸ भाग I में अध्याय-I (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

⁹ भाग II में अध्याय-II (विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

भाग-I

2.1.2 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

2.1.2.1 विद्युत क्षेत्र उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करने के अलावा, यह क्षेत्र राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में भी योगदान देता है। विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के क्रियाकलापों की सीमा को दर्शाता है। तालिका-2.1.2.1 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए राराक्षेदिस के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर एवं स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है:

तालिका-2.1.2.1: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की तुलना में दिल्ली के स.रा.घ.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर ¹⁰	3,640.67	4,410.86	3,617.57	4,178.31	4,938.10
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	4,94,803.02	5,50,803.70	6,15,605.26	6,90,098.28	7,79,652.31
दिल्ली के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर की प्रतिशतता	0.74	0.80	0.59	0.61	0.63

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं एवं राज्य स.रा.घ.उ. आँकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की वृद्धि ने 2016-17 तक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया और इसके बाद (-)17.98 प्रतिशत से 21.16 प्रतिशत के बीच सुधार हुआ है जबकि दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वृद्धि ने 11.32 प्रतिशत से 12.98 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया।

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर एकाधिक समयावधि में विकास दर मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के 12.04 प्रतिशत संयुक्त वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 7.92 प्रतिशत कम संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। स.रा.घ.उ. के लिए इन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.74 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 0.63 प्रतिशत तक हो गई।

¹⁰ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक लेखापरीक्षा किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 को प्राप्त नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन

2.1.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (राराक्षेदिस) ने (नवम्बर 2000) दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (दि.वि.सु.अ. 2000) को एक विद्युत नियामक आयोग के गठन करने, विद्युत उद्योग के पुनर्गठन (विद्युत के उत्पाद, संचरण, वितरण एवं आपूर्ति के युक्तिकरण), विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवसर बढ़ाने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक कुशल, वाणिज्यिक, किफायती एवं प्रतिस्पर्धी तरीके से विद्युत उद्योग के विकास एवं प्रबंधन के लिए अनुकूल उपाय करने एवं उनसे संबंधित या उनके प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियमित किया (नवम्बर 2000)। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राराक्षेदिस ने दिल्ली विद्युत सुधार (स्थानांतरण योजना) नियम, 2001 (नवंबर 2001) को अधिसूचित किया। स्थानांतरण योजना दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) के कार्यों को विभाजित करने एवं उत्तराधिकारी संस्थाओं में बोर्ड की मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों, प्रक्रियाओं एवं कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्रबंध किया। तदनुसार, छह नई कंपनियाँ अर्थात् (i) होल्डिंग कंपनी (दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड-डीपीसीएल), (ii) जेनको, (इंद्रप्रस्थ विद्युत जनरेशन कंपनी लिमिटेड-आईपीजीसीएल), (iii) ट्रांस्को (दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड-डीटीएल), (iv) डिस्कॉम-1, (v) डिस्कॉम-2 एवं (vi) डिस्कॉम-3 को निगमित किया गया (जुलाई 2001), परन्तु 1 जुलाई 2002 से कार्य करना शुरू किया। डिस्कॉम-1, डिस्कॉम-2 एवं डिस्कॉम-3 निजी क्षेत्र को स्थानांतरित (जुलाई 2002) कर दी गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, दो विद्युत क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् प्रगति विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल, जनवरी 2001 में निगमित) एवं दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड (मई 2011 में निगमित) की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली को सौंपी गई, लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रम आ गए जिसे तालिका 2.1.2.2 में दर्शाया गया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

2.1.2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कोई विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

2.1.2.4 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका-2.1.2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				कुल
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		
		राराक्षेदिस	अन्य ¹¹	राराक्षेदिस	अन्य	
विद्युत का उत्पादन ¹²	2	2,670.73	140.00	1,115.92	957.79	4,884.44
विद्युत का संचरण ¹³	1	3,691.00	260.00	263.33	524.29	4,738.62
विद्युत का वितरण ¹⁴	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य ¹⁵	2	745.05	0.01	1,330.56	0	2,075.62
योग	5	7,106.78	400.01	2,709.81¹⁶	1,482.08	11,698.68

स्रोत: 30 सितंबर 2019 को प्राप्त सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 11,698.68 करोड़ था। निवेश में 64.17 प्रतिशत इक्विटी एवं 35.83 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। इक्विटी योगदान कुल इक्विटी का 94.67 प्रतिशत (₹ 7,106.78 करोड़) था, जबकि इक्विटी का 5.33 प्रतिशत (₹ 400.01 करोड़) भास/अन्य द्वारा योगदान दिया गया था। राराक्षेदिस द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 64.64 प्रतिशत (₹ 2,709.81 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 35.36 प्रतिशत (₹ 1,482.08 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से प्राप्त किए गए।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

2.1.2.5 राराक्षेदिस विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को वार्षिक बजट द्वारा विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान जारी इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के बारे में बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण तालिका-2.1.2.3 में दिया गया है।

¹¹ अन्य में भारत सरकार (भास), सरकारी सा.क्षे.उ. और अन्य शामिल हैं

¹² आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल हैं।

¹³ डीटीएल

¹⁴ डिस्कॉम्स निजी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

¹⁵ डीपीसीएल एवं दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं।

¹⁶ राराक्षेदिस का दीर्घकालिक ऋण ₹ 588.70 करोड़ की राशि को शामिल नहीं करता है जिसे ऋण की वर्तमान परिपक्वता अर्थात् अगले वर्ष के दौरान चुकाए जाने वाली (भारतीय एएस के अनुसार) होने के कारण पीएसयू के खाते में वर्तमान देयता के रूप में चित्रित किया गया है।

तालिका-2.1.2.3: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ¹⁷	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी (i)	0	0	0	0	0	0.00
प्रदत्त ऋण (ii)	3	469.98	3	465.80	2	400.00
प्रदत्त अनुदान/सहायता (iii)	3	188.94	0	0	1	3.57
कुल व्यय (i+ii+iii)	4	658.92	3	465.80	2	403.57

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना।

मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता का विवरण चार्ट-2.1.2.1 में दिया गया है।

चार्ट-2.1.2.1: इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त की गई बजटीय सहायता ₹ 403.57 करोड़ से ₹ 755.00 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त की गई ₹ 403.57 करोड़ की बजटीय सहायता में राराक्षेदिस द्वारा दिए ₹ 400 करोड़ का ऋण एवं ₹ 3.57 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी शामिल था।

राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

2.1.2.6 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार इक्विटी एवं ऋण के बकाया के आँकड़े राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आँकड़ों से

¹⁷ धन राशि केवल राज्य बजट से व्यय दर्शाती है।

मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को इनके अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक ऋण के आँकड़ों में अंतरों को तालिका-2.1.2.4 में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.4: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बकाया ऋण		अन्तर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	विद्युत क्षेत्र उपक्रम ¹⁸ के अभिलेखों के अनुसार	
कुल ऋण	5,426.02	5,436.70	-10.68

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं वे.एवं.ले.का., राराक्षेदिस से एकत्रित सूचना

संख्याओं के बीच अन्तर डीटीएल (₹ 10.14 करोड़) तथा आईपीजीसीएल (₹ 0.54 करोड़) से संबंधित है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार एवं सा.क्षे.उ. अंतरों का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करें।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति

2.1.2.7 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयोचितता

31 मार्च 2019 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रम थे। सांविधिक आवश्यकतानुसार 30 सितंबर 2019 तक चार कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष का 30 सितंबर तक विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों के विवरण तालिका-2.1.2.5 में दिए गए हैं।

¹⁸ इसमें ₹ 2,377.17 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण + ₹ 588.70 करोड़ के ऋण का चालू परिपक्वता जो अगले वर्ष पुनर्भुगतान किया जाना है + वर्तमान देयता को हस्तांतरित ऋण जो अभी तक पुनर्भुगतान किया जाना है यद्यपि पहले के वर्षों में ₹ 2,470.83 करोड़ का बकाया है जैसा कि बिजली क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.2.5: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति

क्रम. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	5	5	5	5	5
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	5	0	6	9	4
3.	चालू वर्ष के लेखाओं की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	1	0	1	4	4
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	1	4	5	4	0
5.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	0	5	4	0	1 ¹⁹
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	0	5	4	0	1
7.	बकायों की सीमा	शून्य	एक वर्ष	एक वर्ष	शून्य	एक वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2014 से सितंबर 2019 के दौरान प्राप्त किए गए सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन


2.1.2.8 30 सितंबर 2019 तक प्राप्त पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम उनके अद्यतन लेखाओं के अनुसार **अनुलग्नक-2.1** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि उपक्रमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल मिले। 31 मार्च 2019 तक पाँच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 11,698.68 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 7,506.79 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹ 4,191.89 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राराक्षेदिस के द्वारा चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर) में ₹ 9,816.59 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 7,106.78 करोड़ की इक्विटी एवं ₹ 2,709.81 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में राराक्षेदिस के निवेश की वर्षवार स्थिति **चार्ट-2.1.2.2** में दी गई है।

¹⁹ दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड

चार्ट-2.1.2.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस का कुल निवेश



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे


किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेशित धनराशि के संबंध में उठाए गए लाभ अथवा हानि को मापता है और इसे कुल निवेश के लाभ की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस क्षमता को मापता है जिसके साथ इसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जो कि शेयरधारकों की निधियों द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

2.1.2.9 निवेश पर प्रतिफल, कुल निवेश की लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ²⁰ की समग्र स्थिति को चार्ट-2.1.2.3 में दर्शाया गया है।

²⁰ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

चार्ट-2.1.2.3: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2014-15 में ₹ 297.55 करोड़ के प्रति 2018-19 में ₹ 806.48 करोड़ था। उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, इन पाँच सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ.²¹ ने लाभ अर्जित किया एवं दो सा.क्षे.उ.²² को हानि हुई (अनुलग्नक-2.1)। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 398.00 करोड़) एवं प्रगति विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 264.38 करोड़) थीं।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभ/हानि अर्जित/करने वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति तालिका-2.1.2.6 में दी गई है।

तालिका-2.1.2.6: लाभ/हानि अर्जित/करने वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रम

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	5	3	2
2015-16	5	5	0
2016-17	5	3	2
2017-18	5	4	1
2018-19	5	3	2

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

²¹ पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल

²² आईपीजीसीएल (₹ 19.84 करोड़) तथा दिराओअविनि एनर्जी लिमिटेड (₹ 19,500)

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

2.1.2.10 राज्य के पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, राराक्षेदिस ने केवल चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया। राराक्षेदिस ने एक विद्युत क्षेत्र उपक्रम अर्थात् दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड, में किसी भी प्रत्यक्ष निधि का किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दिराऔअविनि) की सहायक कंपनी होने के नाते निवेश नहीं किया जिसने उसकी पूँजी के लिए योगदान दिया।

चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर प्रतिफल की गणना राराक्षेदिस द्वारा सा.क्षे.उ. में केवल इक्विटी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है क्योंकि चार सा.क्षे.उ. को कोई ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) नहीं दिया गया था। आगे, प्रबंधन एवं परिचालन व्यय के अलावा अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराए गए निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अहर्क माने जाने योग्य नहीं हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल तालिका-2.1.2.7 में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.7: ऐतिहासिक लागत आधार पर राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	इक्विटी, आईएफएल और अनुदान के रूप में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित निधियाँ और ऐतिहासिक लागत के आधार पर परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल उपार्जन/हानि (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2014-15	8,955.86	297.47	3.32
2015-16	9,138.04	752.63	8.24
2016-17	9,314.05	512.86	5.51
2017-18	9,315.59	879.63	9.44
2018-19	9,319.16	806.48	8.65

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखाओं से प्राप्त सूचना

2014-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के निवेश पर प्रतिफल मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया है।

(ख) सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

2.1.2.11 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस द्वारा महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निवेश पर प्रतिफल, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की

पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) की अनदेखी करती है। सरकारी निवेशों के व.मू. की गणना निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेशों के व.मू. पर प्रतिफल की दर का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके व.मू. तक लाने हेतु, राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्षवार निधियों को सरकारी उधारी पर वर्षवार ब्याज की औसत दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है, को चक्रवृद्धि दर पर किया गया है। इसलिए, राराक्षेदिस के निवेश के व.मू. की गणना की गई, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा 2002-03²³ से 31 मार्च 2019 तक इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश किया गया है।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस के निवेश के व.मू. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष²⁴ के लिए सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर को व.मू. पर पहुँचाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था चूँकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा उठाई गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में मानी जाती है।

2.1.2.12 2001-2002 से 31 मार्च 2019 तक चार²⁵ विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राराक्षेदिस के निवेश की कंपनी-वार स्थिति **अनुलग्नक-2.2** में दर्शाई गई है। 2002-03 से 31 मार्च 2019 तक चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राराक्षेदिस निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति **तालिका-2.1.2.8** में दर्शायी गई है:

²³ कंपनियों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

²⁴ सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर, संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राराक्षेदिस) पर भारत के निमलेप की रिपोर्ट से अपनाई गई थी। 2001-02 के लिए औसत उधारी दर उपलब्ध नहीं थी।

²⁵ दिराऔअविनि ऊर्जा लिमिटेड में राराक्षेदिस का कोई निवेश नहीं है।

तालिका-2.1.2.8: 2002-03 से 2018-19 तक राराक्षेदिस द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण एवं सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य (व.मू.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान और सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष ²⁶ के लिए कुल उपाजन
i	ii	iii	iv	v (iii + iv)	vi = ii+iii+iv	vii	viii = {vi*(1+vii)/100}	ix=(vii*vi)/100	x
2002-03		323.14	0	323.14	323.24 ²⁷	11.17	359.35	36.11	-1104.40
2003-04	359.35	0.00	0.00	0.00	359.35	10.65	397.62	38.27	0.00
2004-05	397.62	0.00	0.00	0.00	397.62	10.34	438.73	41.11	-683.40
2005-06	438.73	0.00	0.00	0.00	438.73	8.87	477.65	38.92	-1002.00
2006-07	477.65	1.00	0.00	1.00	478.65	9.35	523.40	44.75	-13.15
2007-08	523.40	4087.50	13.13	4100.63	4624.03	9.84	5079.03	455.00	-575.26
2008-09	5079.03	464.50	0.00	464.50	5543.53	9.90	6092.34	548.81	27.27
2009-10	6092.34	497.54	75.00	572.54	6664.88	9.52	7299.38	634.50	222.95
2010-11	7299.38	239.00	332.35	571.35	7870.73	9.10	8586.97	716.24	420.50
2011-12	8586.97	450.00	175.00	625.00	9211.97	9.77	10111.97	900.01	216.41
2012-13	10111.97	299.00	463.65	762.65	10874.62	9.73	11932.73	1058.10	470.50
2013-14	11932.73	745.00	434.95	1179.95	13112.68	9.21	14320.35	1207.68	758.96
2014-15	14320.35	0.00	355.00	355.00	14675.35	8.59	15935.97	1260.61	297.47
2015-16	15935.97	0.00	182.18	182.18	16118.15	8.54	17494.64	1376.49	752.63
2016-17	17494.64	0.00	176.01	176.01	17670.65	8.65	19199.16	1528.51	512.86
2017-18	19199.16	0.00	1.54	1.54	19200.70	8.58	20848.12	1647.42	879.63
2018-19	20848.12	0.00	3.57	3.57	20851.69	8.64	22653.27	1801.59	806.48
कुल		7,106.68	2,212.38	9,319.16					

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं राज्य वित्त पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना

वर्ष के अंत में इन चार कंपनियों में राराक्षेदिस के इक्विटी निवेश 2002-03 में ₹ 323.24 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 7,106.78²⁸ करोड़ हो गया। 31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 22,653.27 करोड़ था।

इस तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान कंपनियों का कुल उपाजन न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम था।

2014-15 से 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के अनुसार निवेश पर प्रतिफल एवं ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना तालिका-2.1.2.9 में दी गई है:

²⁶ 2002-03 से 2011-12 के लिए, कर से पहले लाभ के आकड़े उपलब्ध कराए गए हैं क्योंकि कर के बाद लाभ के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

²⁷ 2001-02 में पीपीसीएल तथा डीपीसीएल में प्रत्येक में प्रारंभिक इक्विटी निवेश ₹ 0.05 करोड़ शामिल था।

²⁸ 2001-02 में पीपीसीएल तथा डीपीसीएल में प्रत्येक में प्रारंभिक इक्विटी निवेश ₹ 0.05 करोड़ शामिल था।

तालिका-2.1.2.9: राराक्षेदिस की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपार्जन/हानि (-)	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी, आई.एफ.एल. तथा अनुदानों व परिचालन हेतु सब्सिडी तथा ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रबंधन व्यय के रूप में निवेशित निधियां	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राराक्षेदिस के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल (%)
2014-15	297.47	8,955.86	3.32	15,935.97	1.87
2015-16	752.63	9,138.04	8.24	17,494.64	4.30
2016-17	512.86	9,314.05	5.51	19,199.16	2.67
2017-18	879.63	9,315.59	9.44	20,848.12	4.22
2018-19	806.48	9,319.16	8.65	22,653.27	3.56

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखाओं से प्राप्त सूचना

2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल 8.65 प्रतिशत था, जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित प्रतिफल केवल 3.56 प्रतिशत था।

निवल मूल्य

2.1.2.13 निवल मूल्य का अर्थ है कि प्रदत्त पूँजी एवं फ्री रिजर्व्स व अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त की गई राशि। अनिवार्य रूप से यह एक माप है कि किसी इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा संपूर्ण निवेश को संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है।

पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित लाभ²⁹ ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के सापेक्ष ₹ 869.91 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद ₹ 8,375.83 करोड़ का निवल मूल्य था (परिशिष्ट-2.1)। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड में निवल मूल्य (-₹ 615.17 करोड़) पूरी तरह से मिट गया था।

तालिका-2.1.2.10 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कुल प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है, जिसमें राराक्षेदिस ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी का निवेश किया है:

²⁹ फ्री रिजर्व्स-संचित हानि

तालिका-2.1.2.10: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	7,506.78	(-) 2,087.31	1.70	5,417.77
2015-16	7,506.78	(-) 1,658.02	1.59	5,847.17
2016-17	7,506.78	(-) 1,096.46	1.61	6,408.71
2017-18	7,506.78	92.50	0.32	7,598.96
2018-19	7,506.78	869.69	0.87	8,375.60

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

चार विद्युत कंपनियों की संचित हानि 2014-15 में ₹ 2,087.31 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹ 1,096.46 करोड़ हो गई एवं 2018-19 में संचित लाभ बढ़कर ₹ 869.69 करोड़ हो गया। निवल मूल्य 2014-15 में ₹ 5,417.77 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,375.60 करोड़ हो गया है।

चार³⁰ सा.क्षे.उ. में से एक सा.क्षे.उ. अर्थात् डीपीसीएल का निवल मूल्य विगत पाँच वर्षों 2014-15 से 2018-19 तक में पूर्णतया ऋणात्मक रहा, जैसा कि तालिका-2.1.2.11 में विस्तृत रूप में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान डीपीसीएल का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	745.05	(-) 1,660.24	0.00	(-) 915.19
2015-16	745.05	(-) 1,609.47	0.00	(-) 864.42
2016-17	745.05	(-) 1,536.61	0.00	(-) 791.56
2017-18	745.05	(-) 1,524.16	0.00	(-) 779.11
2018-19	745.05	(-) 1,360.22	0.00	(-) 615.17

डीपीसीएल की संचित हानियाँ मुख्य रूप से तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड के अलग-अलग होने के समय केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को देय बकाया मूलधन पर ₹ 1,639.77 करोड़ के ब्याज की अदायगी के कारण थीं।

लाभांश भुगतान

2.1.2.14 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान जहाँ राराक्षेदिस द्वारा उस अवधि के दौरान इक्विटी निवेश की गई थी, को तालिका-2.1.2.12 में दर्शाया गया है।

³⁰ आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल एवं डीपीसीएल

**तालिका-2.1.2.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र
उपक्रमों का लाभांश भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ., जहाँ राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ.		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii=vii/v*100
2014-15	4	7,106.78	2	2,670.73	0	0	-
2015-16	4	7,106.78	4	7,106.78	0	0	-
2016-17	4	7,106.78	3	6,510.24	0	0	-
2017-18	4	7,106.78	4	7,106.78	0	0	-
2018-19	4	7,106.78	3	6,510.24	0	0	-

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, जिन सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया, की संख्या दो से चार के बीच थी, परन्तु कोई भी उपक्रम ने किसी वर्ष के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया था।

राज्य सरकार सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान के लिए लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करने वाली एक लाभांश नीति तैयार करे।

इक्विटी पर प्रतिफल

2.1.2.15 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह आकलन होता है कि प्रबंधन, लाभ सृजन करने के लिए कंपनी की संपत्तियों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् करों के बाद शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयर-धारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं।

कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी, फ्री रिजर्वस एवं संचित हानि का निवल अधिशेष तथा आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर किया जाता है एवं इससे यह पता चलता है कि यदि समस्त परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए व सभी ऋण का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष बच जाएगा। धनात्मक शेयरधारी निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ संपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधियों एवं इक्विटी पर रिटर्न का विवरण तालिका-2.1.2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.2.13 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था

वर्ष	वर्ष ³¹ के लिए निवल आय/कुल उपार्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	297.47	5,417.77	5.49
2015-16	752.63	5,847.17	12.87
2016-17	512.86	6,408.71	8.00
2017-18	879.63	7,598.96	11.58
2018-19	806.48	8,375.60	9.63

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, निवल आय और शेयरधारकों की निधि मिश्रित प्रवृत्ति दिखाने वाले आरओई के साथ धनात्मक थी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2.1.2.16 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस क्षमता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी³² द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका-2.1.2.14 में दिया गया है।

³¹ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (फिर से एकत्रित किया गया जहाँ कहीं आवश्यक हो) के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

³² नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी+फ्री रिजर्व्स एवं अधिशेष+दीर्घकालिक ऋण-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय। वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फिर से एकत्रित किया गया जहाँ कहीं आवश्यक हो) के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

तालिका-2.1.2.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	1,276.80	12,459.40	10.25
2015-16	1,701.99	12,044.43	14.13
2016-17	1,485.48	12,229.72	12.15
2017-18	1,789.37	12,832.62	13.94
2018-19	1,659.63	12,567.49	13.21

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की आरओसीई की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

कंपनियों के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण

2.1.2.17 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन कंपनियों जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण, कम्पनियों द्वारा ली गई ऋण को सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को देय ऋण को चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज कवरेज अनुपात एवं ऋण-टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज कवरेज अनुपात

2.1.2.18 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी कंपनी की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना उस अवधि की ब्याज व्यय से कंपनी के ई.बी.आई.टी. को भाग करके किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होता है ऋण पर ब्याज भुगतान करने की कंपनी की क्षमता भी उतनी कम होती है। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। उन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में जिनके पास 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज भार था उनकी ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-2.1.2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.15: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर से पूर्व उपार्जन (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2014-15	725.21	1,276.80	4	2	2 ³³
2015-16	675.00	1,701.99	4	4	0
2016-17	684.96	1,485.48	4	3	1 ³⁴
2017-18	577.92	1,789.37	4	4	0
2018-19	496.06	1,474.03	3	2	1 ³⁵

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

³³ डीपीसीएल एवं डीटीएल

³⁴ आईपीजीसीएल

³⁵ आईपीजीसीएल

एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की संख्या में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा।

ऋण-टर्नओवर अनुपात

2.1.2.19 विगत पाँच वर्षों के दौरान, पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर 7.92 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की तथा ऋण में चक्रवृद्धि वार्षिक गिरावट 12.16 प्रतिशत थी जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात में 2014-15 में 1.93 से संशोधित होकर 2018-19 में 0.85 हो गया, जैसा कि तालिका-2.1.2.16 में दिया गया है।

तालिका-2.1.2.16: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण-टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार/बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,041.63	6,197.26	5,821.01	5,233.66	4,191.89
टर्नओवर	3,640.67	4,410.86	3,617.57	4,178.31	4,938.10
ऋण-टर्नओवर अनुपात	1.93	1.41	1.61	1.25	0.85

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1.2.20 पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से चार कंपनियों ने अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। सभी चार लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए जो 30 सितम्बर 2019 तक प्रगति³⁶ पर थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। 2016-19 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. के टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण तालिका-2.1.2.17 में दिया गया है।

³⁶ निमलेप की टिप्पणी 30 सितम्बर 2019 तक जारी नहीं हुई।

तालिका-2.1.2.17: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	694.80	2	1,027.19	1	1,323.77
2.	लाभ में वृद्धि	1	433.27	6	2,325.39	2	2,288.54
3.	हानि में वृद्धि	1	91.04	1	93.30	0	0
4.	हानि में कमी	1	229.94	1	171.71	0	0
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	3	145.58	0	0	0	0
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	0	0	1	3	0	0

स्रोत: संबंधित वर्षों में जारी सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी पाँच लेखाओं के लिए योग्य प्रमाण-पत्र जारी किया था तथा तीन लेखाओं में लेखा मानकों के गैर-अनुपालन के तीन दृष्टांत देखे गए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

2.1.2.21 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभागों को विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित एक्शन टेकन नोट (एटीएन) सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.2.18 में दी गई है।

तालिका-2.1.2.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति (31 मार्च 2020 तक)

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की राज्य विधान सभा में स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निलेप) तथा पैरे		निलेप/पैराओं की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		निलेप	पैरे	निलेप	पैरे
2014	30.06.2015	0	0	0	0
2015	13.06.2016	0	5	0	0
2016	10.03.2017	1	3	0	0
2017	03.04.2018	0	3	0	1
2018	03.12.2019	0	0	0	0

स्रोत: राराक्षेदिस से प्राप्त एटीएन पर आधारित संकलन

सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

2.1.2.22 31 मार्च 2020 तक कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा पैराओं की चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.2.19 में दी गई है।

तालिका-2.1.2.19: 31 मार्च 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए निष्पादन लेखापरीक्षा/पैराओं जिस पर चर्चा हुई

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षाएं/पैराओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिखाए गए		चर्चा किए गए पैरे	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैरे	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैरे
2014	0	0	0	0
2015	0	5	0	0
2016	1	3	0	0
2017	0	3	0	2
2018	0	0	0	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

कोगू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

2.1.2.23 2014 से 2018 की अवधि के लिए कोगू से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

भाग II

2.1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

2.1.3.1 31 मार्च 2019 तक 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) थे जो विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सा.क्षे.उ. 1967 से 2016 के बीच निगमित किए गए थे तथा इसमें 12 सरकारी कंपनियाँ तथा दो सांविधिक निगम अर्थात्, दिल्ली वित्त निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम शामिल थे। उन्होंने एक कंपनी अर्थात्, एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड³⁷ (स्मार्ट सिटी) को 2016-17 में निगमित करके प्रधान महालेखाकार (प्रमले) को सौंपा यद्यपि राराक्षेदिस द्वारा कोई इक्विटी अंशदान नहीं किया गया। उन्होंने अप्रैल 1987 में निगमित एक अन्य कंपनी, इंटेलिजेन्ट कॉम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड³⁸ को भी शामिल किया तथा दिसम्बर 2018 से लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार को सौंपा।

राज्य सरकार राज्य सा.क्षे.उ. को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 14 सा.क्षे.उ. में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल नौ राज्य सा.क्षे.उ. में निधियों का निवेश किया और इसने पांच सरकारी कंपनियों में कोई निधियाँ नहीं लगाई अर्थात् तीन सरकारी कंपनियाँ जो दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक के रूप में निगमित किए गए, में कोई निधियाँ नहीं लगाई तथा दो सरकारी कंपनियाँ (स्मार्ट सिटी तथा आई.सी.एस.आई.एल.) जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. का कोई निवेश नहीं है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

2.1.3.2 स.रा.घ.उ. से सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। तालिका-2.1.3.1 मार्च 2019 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर तथा दिल्ली के स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है:

³⁷ एनडीएमसी स्मार्ट सिटी का निगमन नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) द्वारा इक्विटी योगदान तथा भा.स के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भारत सरकार से अनुदान के माध्यम से हुआ है।

³⁸ आईसीएसआईएल का निगमन दिराऔअविनि, टीसीआईएल तथा ओरिसन इन्फोकॉम प्रा.लि. द्वारा इक्विटी योगदान के माध्यम से हुआ है।

तालिका-2.1.3.1: दिल्ली के स.रा.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर ³⁹	4,569.35	4,186.91	4,100.76	3,940.75	4,380.59
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	4,94,803.02	5,50,803.70	6,15,605.26	6,90,098.28	7,79,652.31
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	0.92	0.76	0.67	0.57	0.56

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे तथा राज्य स.रा.घ.उ. आंकड़े

2017-18 तक इन सा.क्षे.उ. का टर्नओवर घटती प्रवृत्ति को दर्शाया तथा 2018-19 में ₹ 4,380.59 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी की दर 8.37 प्रतिशत से 2.06 प्रतिशत के बीच थी, तथापि, यह 2018-19 में बढ़कर कर 11.16 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान राराक्षे दिल्ली के स.रा.घ.उ. में वृद्धि की दर 11.32 प्रतिशत तथा 12.98 प्रतिशत के बीच था। विगत पाँच वर्षों में स.रा.घ.उ. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 12.04 प्रतिशत था। स.रा.घ.उ. की 12.04 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 1.05 प्रतिशत की ऋणात्मक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य स.रा.घ.उ. में इन सा.क्षे.उ. के टर्नओवर के हिस्से में 2014-15 में 0.92 प्रतिशत से 2018-19 में 0.56 प्रतिशत की गिरावट आई।

राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

2.1.3.3 कुछ सा.क्षे.उ. हैं जो नियत सेवाएँ, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों की वजह से प्रदान करने को इच्छुक नहीं हो सकता है, प्रदान करने में राज्य सरकार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी नियत व्यवसाय सेगमेंट में सा.क्षे.उ. के माध्यम से निवेश किया है जो निजी क्षेत्र उपक्रमों के साथ प्रतियोगात्मक वातावरण में कार्य करते हैं। इसीलिए इन सा.क्षे.उ. की स्थिति का दो मुख्य वर्गीकरण के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है यानि, वे जो सामाजिक क्षेत्र में हैं तथा वे जो प्रतियोगात्मक वातावरण में कार्यरत हैं। इस के अतिरिक्त इन राज्य सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार के लिए कुछ विशेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए सम्मिलित किया गया, जिन्हे 'अन्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

³⁹ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

31 मार्च 2019 तक इन 14 सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश के विवरणों को अनुलग्नक-2.3 में वर्णित किया गया है।

2.1.3.4 31 मार्च 2019 को इन राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश के क्षेत्र-वार सार को तालिका-2.1.3.2 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.2: राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	सा.क्षे.उ. की सं.	निवेश (₹ करोड़ में)						
		राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी अंशदान	अन्य ⁴⁰ द्वारा इक्विटी अंशदान	कुल इक्विटी	राराक्षेदिस से दीर्घकालिक ऋण	अन्य से दीर्घकालिक ऋण	कुल दीर्घकालिक ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	2 ⁴¹	40.33	11.88	52.21	3.06	13.33	16.39	68.60
प्रतियोगात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	9 ⁴²	2,039.83	9.46	2,049.29	11,709.14	5.41	11,714.55	13,763.84
अन्य	3 ⁴³	10.76	250.00	260.76	0.00	0.00	0.00	260.76
कुल	14	2,090.92	271.34	2,362.26	11,712.20	18.74	11,730.94	14,093.20

स्रोत: 30 सितंबर 2019 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखाओं के आधार पर संकलित

31 मार्च 2019 को, इन 14 सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 14,093.20 करोड़ था। निवेश में 16.76 प्रतिशत इक्विटी तथा 83.24 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल था। राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी योगदान कुल इक्विटी का 88.51 प्रतिशत (₹ 2,090.92 करोड़) था, जबकि इक्विटी का 11.49 प्रतिशत (₹ 271.34 करोड़) योगदान भा.स./अन्य द्वारा किया गया। राराक्षेदिस द्वारा दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 99.84 प्रतिशत (₹ 11,712.20 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 0.16 प्रतिशत (₹ 18.74 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

⁴⁰ अन्य में भारत सरकार (भास), सरकारी सा.क्षे.उ. और अन्य शामिल हैं।

⁴¹ दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी) तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)

⁴² दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) लिमिटेड तथा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी) लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड (डीसीएडीएल), डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड (डीएलएल), डीएसआईआईडीसी मॅटेनेन्स सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल), दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी), आईसीएलआईएल, दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) तथा दिल्ली परिवहन निगम (दिपनि)

⁴³ जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल), शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड (एसआरसीएल) तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड

2014-15 में निवेश ₹ 13,859.88 करोड़ से 1.68 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 14,093.20 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 के दौरान निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी में इक्विटी के प्रति ₹ 250 करोड़ जुड़ने के कारण थी।

राज्य सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

2.1.3.5 2018-19 के दौरान, राज्य सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार द्वारा कोई विनिवेश, पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता

2.1.3.6 राराक्षेदिस राज्य सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी ऋणों, अनुदानों/सब्सिडी के बजटीय व्यय का सारकृत विवरण तालिका-2.1.3.3 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ⁴⁴	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी व्यय(i)	0	0	0	0	0	0
दिए गए ऋण(ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदत्त अनुदान/आर्थिक सहायता(iii)	3	1,640.70	4	2,085.22	5	1,908.59
कुल व्यय(i+ii+iii)	3	1,640.70	4	2,085.22	5	1,908.59

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के बजटीय व्यय से संबंधित विवरण चार्ट-2.1.3.1 में दिए गए हैं।

चार्ट-2.1.3.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के प्रति बजटीय व्यय



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

⁴⁴ धनराशि केवल राज्य बजट से व्यय दर्शाती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,055.35 करोड़ से ₹ 1,908.59 करोड़ के बीच थी। 2014-19 के दौरान बजटीय सहायता मुख्य रूप से डीटीसी (₹ 1,855.17 करोड़) ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में थी। 2014-19 के दौरान राराक्षेदिस ने इन सा.क्षे.उ. को इक्विटी के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं की।

राराक्षे दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

2.1.3.7 राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अभिलेखाओं के अनुसार इक्विटी तथा ऋण से संबंधित आंकड़ों का राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं में दिखाए गए आंकड़ों के साथ मेल होना चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, संबंधित सा.क्षे.उ. तथा वित्त विभाग को अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 तक की स्थिति तालिका-2.1.3.4 में दी गई है।

तालिका-2.1.3.4: रासा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अभिलेखाओं की तुलना में राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	2,095.71	2,090.91	4.80
ऋण	11,783.32	11,772.00	11.32

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा वे. एवं. ले.का. से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नौ राज्य सा.क्षे.उ. जिनमें राज्य सरकार ने निवेश किया था, में से दो⁴⁵ सा.क्षे.उ. में ऐसे अंतर आए जैसा कि **अनुलग्नक-2.4** में दर्शाया गया है। संख्याओं के बीच अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा संबंधित सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाशोधन करना चाहिए।

सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति

2.1.3.8 31 मार्च 2019 तक सभी 14 सा.क्षे.उ. (12 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) कैग के दायरे में थे। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं को तैयार करने में अपनाई गई समयसीमा की स्थिति का वर्णन निम्नवत है:

कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयोचितता

सभी कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, 12 सरकारी कंपनियों में से, छः सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2019 को अथवा उससे पहले नि.म.ले.प.

⁴⁵ डीएससीएफडीसी तथा डीएससीएससी

द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2018-19 के अपने लेखे प्रस्तुत किए, जबकि छः सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। दो⁴⁶ सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (दि.प.नि.) में नि.म.ले.प. ही एकमात्र लेखापरीक्षक है। वर्ष 2018-19 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 को कार्यशील सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया के विवरण तालिका-2.1.3.5 में दिए गए हैं।

तालिका-2.1.3.5: कार्यशील सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति

क्र.स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	सा.क्षे.उ. की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	12	12	12	13	14
2	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	9	7	15	18	12
3	चालू वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए	5	3	1	6	6
4	पूर्व वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए,	3	5	8	12	6
5	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	4	8	7	4	8
6	बकाया लेखाओं की संख्या	15	20	17	12	15
7	बकाया की सीमा	एक से 11 साल	एक से 12 साल	एक से 13 साल	एक से छः साल	एक से सात साल

स्रोत: अक्टूबर 2014 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान सा.क्षे.उ. से प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने 12 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था जिसमें वर्ष 2018-19 के छः वार्षिक लेखे तथा पिछले वर्षों के 6 वार्षिक लेखे शामिल थे। आगे, 15 वार्षिक लेखे बकाया थे जो आठ सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं जैसा कि अनुलग्नक-2.5 में वर्णित है। प्रशासनिक विभाग के पास इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी करने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा विनिर्धारित अवधि के भीतर लेखे को अंतिम रूप दिया और अपनाया जाए। वित्त विभाग को लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकायों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार सूचित किया गया तथा मामले को मई

⁴⁶ डीटीसी एवं डीएफसी

2019 एवं दिसम्बर 2019 में राराक्षेदिस के मुख्य सचिव के समक्ष भी उठाया गया था।

राराक्षेदिस ने वर्ष के दौरान तीन सा.क्षे.उ.⁴⁷ को ₹ 1,997.40 करोड़ (ऋण: ₹ 56 करोड़, अनुदान/सब्सिडी: ₹ 1,941.40 करोड़) प्रदान किए थे जिसके लिए लेखे बकाया थे, जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिए गए थे जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत निर्धारित था। इन वर्षों के दौरान जिनके लिए लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सा.क्षे.उ.-वार विवरण **अनुलग्नक-2.5** में दर्शाया गया है। हालाँकि, वर्ष 2018-19 के लिए चार⁴⁸ सा.क्षे.उ. के लेखे को अंतिम रूप दिया गया था तथा अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। चार⁴⁹ कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित 11 लेखे दिसंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

शेष चार सा.क्षे.उ. में लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश तथा व्यय को उचित रूप में लेखाबद्ध किया गया था तथा जिस उद्देश्य के लिए राशि को निवेशित किया गया था, वह प्राप्त हुई थी। इसलिए इन सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस का निवेश, राज्य विधायिका के नियंत्रण के बाहर रहा।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का स्थानन

2.1.3.9 वर्ष 2018-19 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृलेप) सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। इन प्रतिवेदनों को संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधान मंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं तथा विधानमंडल में उनके पृलेप स्थानन की स्थिति **तालिका-2.1.3.6** में दी गई है।

⁴⁷ डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी तथा डीटीसी

⁴⁸ डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी, आईसीएसआईएल एवं डीएफसी

⁴⁹ डीएससीएफडीसी (2012-13 से 2018-19 तक 7 लेखे), डीटीआईडीसी (2), एनडीएमसी स्मार्ट सिटी (1) एवं डीटीसी (1)

तालिका-2.1.3.6: सांविधिक निगमों के पृलेप स्थानन के प्रस्तुति की स्थिति

निगम का नाम	लेखे का वर्ष	राराक्षेदिस को प्रस्तुति की तिथि	एसएआर के स्थानन की माह
दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	25.01.2017	प्रस्तुत किया जाना है।
	2016-17	04.11.2019	प्रस्तुत किया जाना है।
	2017-18	04.11.2019	प्रस्तुत किया जाना है।
दिल्ली परिवहन निगम	2016-17	19.12.2018	25.02.2019

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

राज्य सा.क्षे.उ. के लेखाओं को गैर अंतिम रूप दिए जाने का प्रभाव

2.1.3.10 जैसा कि पैरा 2.1.3.8 में इंगित है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सघउ में राज्य सा.क्षे.उ. के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राज्य कोषागार में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधान मंडल को नहीं दी गई थी।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी किया जाना चाहिए तथा लेखाओं में बकाया का परिसमापन करने हेतु सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार को सा.क्षे.उ. के लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के लिए जिम्मेदार बाधाओं पर भी गौर करना चाहिए तथा उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना चाहिए जो लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य सा.क्षे.उ. का निष्पादन

2.1.3.11 30 सितंबर 2019 तक 14 सा.क्षे.उ. के उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्यशील परिणाम अनुलग्नक-2.6 में विवरणित हैं।


सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल देने की आशा होती है। 31 मार्च 2019 तक (विद्युत क्षेत्र के अलावा) सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 14,093.20 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,362.26 करोड़ तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹ 11,730.94 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राराक्षेदिस ने नौ सा.क्षे.उ.⁵⁰ में

⁵⁰ डीसीएडीएल, डीएलएल, डीएमएसएल, आईसीएसआईएल एवं एनडीएमसी स्मार्ट सिटी को छोड़कर

₹ 13,803.12 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,090.92 करोड़ इक्विटी के रूप में तथा ₹ 11,712.20 करोड़ दीर्घकालिक ऋण के रूप में शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेश की वर्ष-वार स्थिति चार्ट-2.1.3.2 में चित्रित की गई है।

चार्ट-2.1.3.2: सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में राराक्षेदिस का कुल निवेश




स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

किसी कंपनी की लाभप्रदता परंपरागत रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से मूल्यांकन की जाती है। निवेश पर प्रतिफल किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेशित धनराशि से संबंधित लाभ अथवा हानि को बताता है एवं इसे कुल निवेश के लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिसके साथ इसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है तथा इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज एवं करों से पहले कम्पनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जिसकी गणना शेयरधारकों की निधि में से कर के पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

2.1.3.12 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश के लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान 14 कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) द्वारा अर्जित/उठाए गए लाभ/हानि की समग्र स्थिति को चार्ट-2.1.3.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.1.3.3: वर्षों के दौरान 14 कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई हानि



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

सा.क्षे.उ. ने 2014-15 से 2018-19 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानि उठायी। नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, 14 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 68.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,366.95 करोड़ की हानि उठाई (जिनमें दि.प.नि. को ₹ 4,329.41 करोड़ की हानि शामिल है) एवं चार सा.क्षे.उ. को सीमांत हानि⁵¹ हुई जैसा कि **अनुलग्नक-2.6** में विवरणित है।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी डीटीडीडीसी (₹ 37.26 करोड़) थी जबकि दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 4,329.41 करोड़ का भारी हानि हुआ।

31 मार्च 2019 तक 14 सा.क्षे.उ. में से, 2014-15 से 2018-19 के दौरान वे कार्यशील सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित/उठायी, की स्थिति **तालिका-2.1.3.7** में दी गई है।

तालिका-2.1.3.7: 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया/उठायी

वित्त वर्ष	सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठायी
2014-15	12	7	5
2015-16	12	8	4
2016-17	12	8	4
2017-18	13	5	8
2018-19	14	5	9

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

⁵¹ डीएमएसएल, डीएलएल, डीसीएडीएल तथा एसआरडीसी को क्रमशः ₹ 33,500, ₹ 32,700, ₹ 33,000 तथा ₹ 25,370 की हानि हुई।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

2.1.3.13 राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राराक्षेदिस ने केवल नौ सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया। राराक्षेदिस ने इन नौ सा.क्षे.उ. में ₹ 13,803.12 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,090.92 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 11,712.20 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

सा.क्षे.उ. से निवेश पर प्रतिफल राराक्षेदिस द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा ऋण के रूप में किए गए निवेश पर परिकलित किया गया है। ऋण के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को निवेश माना जाता है चूंकि सरकार ऐसे ऋण पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं करती है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति सिवाय इस हद तक कि पुनर्भुगतान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार ऋण को चुकाने का दायित्व है। इस प्रकार, इन नौ (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अलावा) राराक्षेदिस का निवेश, इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) पर विचार करके हुआ है और ऐसे मामलों में जहाँ ब्याज मुक्त ऋण सा.क्षे.उ. द्वारा चुकाया गया है, ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (व.मू.) के आधार पर निवेश के मूल्य की गणना उस अवधि में ब्याज मुक्त ऋण की घटी हुई शेष राशि पर की गई थी, जैसा कि **तालिका-2.1.3.8** तथा **2.1.3.9** में विवरणित है। प्रबंधन एवं परिचालन व्यय के अलावा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं।

31 मार्च 2019 तक इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की इक्विटी ₹ 2,090.92 करोड़ थी। जारी किए गए ₹ 11,712.20 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण में से, ₹ 98.00 करोड़ आईएफएल थे जो उस अवधि में आईएफएल की घटी हुई शेष राशि के आधार पर थे तथा ₹ 10,620.81 करोड़ परिचालन एवं प्रबंधन व्यय (2001-02 से 2018-19 तक) हेतु अनुदान/सब्सिडी था। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का निवेश ₹ 12,809.73 करोड़ (₹ 2,090.92 करोड़ + ₹ 98.00 करोड़ + ₹ 10,620.81 करोड़) था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर क्षेत्र-वार निवेश पर प्रतिफल **तालिका-2.1.3.8** में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.8: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निधियों पर प्रतिफल

वर्ष-वार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	वर्ष के दौरान कुल उपार्जन	राराक्षेदिस द्वारा ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी तथा आईएफएल के रूप में निवेशित निधियाँ		ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (%)		
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)				
सामाजिक क्षेत्र						
2014-15	13.00	96.33		13.50		
2015-16	11.24	96.33		11.67		
2016-17	11.60	96.33		12.04		
2017-18	-1.89	96.33		-1.96		
2018-19	-2.87	96.33		-2.98		
अन्य						
2014-15	1.26	18.69		6.74		
2015-16	3.19	18.69		17.07		
2016-17	3.19	18.69		17.07		
2017-18	2.92	18.69		15.62		
2018-19	2.51	18.69		13.43		
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र						
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	-1,254.24	109.50	5,874.18	101.02	-21.35	108.39
2015-16	-2,816.87	100.89	7,108.93	101.77	-39.62	99.14
2016-17	-3,395.53	15.57	8,725.58	102.52	-38.91	15.19
2017-18	-3,776.22	67.40	10,803.76	103.52	-34.95	65.11
2018-19	-4,295.71	33.70	12,694.71	105.02	-33.84	32.09
सभी क्षेत्रों के लिए कुल						
2014-15	-1,239.98	123.76	5,989.20	216.04	-20.70	57.29
2015-16	-2,802.44	115.32	7,223.95	216.79	-38.79	53.19
2016-17	-3,380.74	30.36	8,840.60	217.54	-38.24	13.96
2017-18	-3,775.19	68.43	10,918.78	218.54	-34.58	31.31
2018-19	-4,296.07	33.34	12,809.73	220.04	-33.54	15.15

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं सा.क्षे.उ. के लेखाओं से प्राप्त सूचना

राज्य सरकार के निवेश पर समग्र प्रतिफल की गणना राज्य सरकार के निवेश की लागत से इन सा.क्षे.उ. के कुल उपार्जन⁵² को विभाजित करके की जाती है। नौ गैर-ऊर्जा सा.क्षे.उ. द्वारा राज्य सरकार के निवेश पर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान अर्जित प्रतिफल (-) 38.79 प्रतिशत और (-) 20.70 प्रतिशत के बीच रही। ऋणात्मक रिटर्न दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) को हुई भारी नुकसान के कारण थी जो 2014-15 में ₹ 1,363.74 करोड़ से 2018-19 में ₹ 4,329.41 करोड़ के बीच रही। दि.प.नि. को पृथक रखने के बाद शेष आठ सा.क्षे.उ. के लिए 2014-15 से 2018-19 तक सभी पाँच वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल धनात्मक थी जो 13.96 प्रतिशत से 57.29 प्रतिशत के बीच रही।

⁵² यह उन राज्य सा.क्षे.उ. के संबंधित वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि शामिल करता है जहाँ निवेश राज्य सरकार द्वारा किये गए हैं

सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

2.1.3.14 उन नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जहाँ निधियाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई थीं के संबंध में इन सा.क्षे.उ. की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए निवेश की तुलना में उपार्जन का विश्लेषण किया गया था। निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर आधारित प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएँ धन की वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती हैं।

सरकारी निवेशों का व.मू., निवेशों की ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेशों के व.मू. पर प्रतिफल की दर का मूल्यांकन करने के लिए परिकलित किया गया है। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशों की ऐतिहासिक लागत को अपने वर्तमान मूल्य में लाने के लिए, राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित पिछला निवेशों/वर्ष-वार डाली गई निधियों की गणना सरकारी उधारी पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर की गई है जो संबंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में मानी जाती है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य (व.मू.) की गणना उन नौ राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में की गई है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निधियाँ 31 मार्च 2019 तक इक्विटी तथा आईएफएल के रूप में निवेश की गई थीं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन नौ सा.क्षे.उ. को निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल था।

नौ उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर गई है:

- ब्याज-मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधि के रूप में माना गया है। हालाँकि, सा.क्षे.उ. द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के मामले में, व.मू. को संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण की घटी हुई शेष राशि पर परिकलित किया गया। प्रबंधन और परिचालन खर्चों के अलावा अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अर्हता प्राप्त करने योग्य नहीं हैं जैसा कि पैरा 2.1.3.13 में निर्दिष्ट सब्सिडी की प्रकृति द्वारा दर्शाया गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष⁵³ के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे साल के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्रतिफल की न्यूनतम अनुमानित दर के रूप में माना गया।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए, जब इन नौ कंपनियों ने हानि उठायीं, तब निष्पादन को मापने का अधिक उचित उपाय हानि के कारण निवल मूल्य का अपक्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के अपक्षरण पर पैरा 2.1.3.17 में टिप्पणी की गई है।

2.1.3.15 इन नौ राज्य सा.क्षे.उ. में 2002-03 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी, ऋण तथा प्रबंधन एवं परिचालन व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश की सा.क्षे.उ.-वार स्थिति को **अनुलग्नक-2.7** में दर्शाया गया है। आगे, उसी अवधि में राज्य सरकार के निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति तथा इन सा.क्षे.उ. से संबंधित कुल उपार्जन को **तालिका-2.1.3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.3.9: 2002-03 से 2018-19 की अवधि के लिए दि.प.नि. सहित राराक्षेदिस द्वारा निवेशों तथा सरकारी निवेशों के वर्तमान मूल्य का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूली के लिए न्यूनतम अनुमानित प्रतिफल	वर्ष ⁵⁴ के लिए कुल उपार्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix={vii*(1 + viii)/100}	x={viii*vii}/100}	xi
2002-03	182.96 ⁵⁵	1.27	0.00	0.20	1.47	184.43	11.17	205.03	20.60	-768.54
2003-04	205.03	0.00	0.00	0.20	0.20	205.23	10.65	227.09	21.86	-534.27
2004-05	227.09	0.00	0.00	0.20	0.20	227.29	10.34	250.79	23.50	-691.88
2005-06	250.79	0.00	0.00	130.87	130.87	381.66	8.87	415.51	33.85	-857.78
2006-07	415.51	2.11	0.00	42.07	44.18	459.69	9.35	502.67	42.98	-850.94
2007-08	502.67	384.30	0.00	20.43	404.73	907.40	9.84	996.69	89.29	-1174.20
2008-09	996.69	250.69	0.00	19.25	269.94	1266.63	9.90	1392.03	125.40	-1699.94
2009-10	1392.03	630.71	0.00	21.25	651.96	2043.99	9.52	2238.58	194.59	-2011.63
2010-11	2238.58	225.00	0.00	70.63	295.63	2534.21	9.10	2764.82	230.61	-1978.31
2011-12	2764.82	215.48	40.00	589.59	845.07	3609.89	9.77	3962.58	352.69	-2185.59
2012-13	3962.58	199.55	50.00	846.89	1096.44	5059.02	9.73	5551.26	492.24	-2246.25
2013-14	5551.26	0.00	1.00	974.75	975.75	6527.01	9.21	7128.15	601.14	-2793.65

⁵³ सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राराक्षेदिस) पर भारत के नि. एवं. म.ले.प. के प्रतिवेदनों से ली गई है।

⁵⁴ 2002-03 से 2011-12 के लिए, कर से पहले लाभ के आकड़े उपलब्ध कराए गए हैं क्योंकि कर के बाद लाभ के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। कर के बाद लाभ के आँकड़े 2012-13 के बाद दर्शाए गए हैं।

⁵⁵ यह राराक्षेदिस द्वारा किए गए निवेश का आरंभिक शेष है।

2014-15	7128.15	-1.15	7.00	1083.75	1089.60	8217.75	8.59	8923.65	705.90	-1239.98
2015-16	8923.65	0.00	0.00	1234.75	1234.75	10158.40	8.54	11025.93	867.53	-2802.44
2016-17	11025.93	0.00	0.00	1616.65	1616.65	12642.58	8.65	13736.16	1093.58	-3380.74
2017-18	13736.16	0.00	0.00	2078.18	2078.18	15814.34	8.58	17171.21	1356.87	-3775.19
2018-19	17171.21	0.00	0.00	1890.95	1890.95	19062.16	8.64	20709.13	1646.97	-4296.07
कुल		1907.96	98.00	10620.61	12809.53					

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना एवं राज्य वित्त पर भारत के नि. एवं म.ले.प. के प्रतिवेदन

इन सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में राराक्षेदिस द्वारा निवेश का 2002-03 में ₹ 184.43 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 19,062.16 करोड़ हो गया, क्योंकि राराक्षेदिस ने 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋणों तथा परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में आगे निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक निवेशित निधियों का व.मू. ₹ 20,709.13 करोड़ था।

2002-03 से 2018-19 के दौरान, इन सा.क्षे.उ. में वर्ष का कुल उपार्जन, इनमें निवेशित निधियों की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को काफ़ी हानि हुई। डीटीसी के घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज लागत (वर्तमान वर्ष का ₹ 4,487.48 करोड़ जिसका भुगतान नहीं हुआ था), वार्षिक अनुरक्षण शुल्कों (एएमसी) में वृद्धि, वेतन संशोधन (2015-16 से 2017-18 तक) का प्रावधान, बसों की बढ़ी हुई स्क्रेपिंग तथा अमितव्ययी किराया संरचना (नवम्बर 2009 में अंतिम बार किराया संशोधन किया गया) थी। 2002-19 की अवधि के दौरान अन्य सा.क्षे.उ. का उपार्जन दि.प.नि. द्वारा नुकसान की ओर बढ़ने लगा जिसके कारण कुल कमाई न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रहा, जैसा कि तालिका-2.1.3.9 में विवरण दिया गया है। दि.प.नि. को छोड़कर निवल वर्तमान मूल्य की गणना अनुलग्नक-2.8 में किया गया है। यह देखा गया कि सभी सा.क्षे.उ. (डीटीसी को छोड़कर) के उपार्जन 2008-09, 2016-17 और 2018-19 को छोड़कर 2002-03 से 2018-19 तक सभी वर्षों में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से अधिक हो गया।

2.1.3.16 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सरकार को इन सा.क्षे.उ. में किए निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था।

निवल मूल्य का अपक्षरण

2.1.3.17 निवल मूल्य का तात्पर्य प्रदत्त पूँजी तथा फ्री रिजर्व्स एवं अधिशेष के कुल योग एवं संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय से घटाव है। अनिवार्य रूप से, यह इस बात का माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा

समस्त निवेश का संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय द्वारा सफाया हो गया है।

तालिका-2.1.3.10 इन गैर-विद्युत क्षेत्र की कंपनियों⁵⁶ के कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को इंगित करता है, जहाँ राराक्षेदिस ने प्रत्यक्ष निवेश किया है।

तालिका-2.1.3.10: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के अलावा उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में सा.क्षे.उ. का प्रदत्त पूँजी		वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)		आस्थगित राजस्व व्यय	कम्पनी का निवल मूल्य	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर		दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	2,091.76	107.91	-18,474.36	496.66	0	-16,382.60	604.57
2015-16	2,091.82	107.97	-21,249.72	639.06	0	-19,157.90	747.03
2016-17	2,091.88	108.03	-24,565.12	734.88	0	-22,473.24	842.91
2017-18	2,091.94	108.09	-28,307.57	835.92	0	-26,215.63	944.01
2018-19	2,111.22	127.37	-32,607.67	865.24	0	-30,496.45	992.61

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

14 गैर-विद्युत सा.क्षे.उ. में से राराक्षेदिस ने नौ सा.क्षे.उ. में निवेश किया। इन नौ में से, सात सा.क्षे.उ.⁵⁷ में धनात्मक निवल मूल्य था और दि.प.नि. (एक कंपनी⁵⁸ के लिए निवल मूल्य शून्य मान लिया गया) में ऋणात्मक निवल मूल्य था। सात सा.क्षे.उ. का धनात्मक निवल मूल्य (₹ 992.61 करोड़) दि.प.नि. के धनात्मक निवल मूल्य (₹ 31,489.06 करोड़) से बड़ा था और इन नौ सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋणात्मक रहा। हालाँकि दि.प.नि. को छोड़ देने के पश्चात् सात सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य इस अवधि के दौरान धनात्मक था।

लाभांश भुगतान

2.1.3.18 नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित लाभांश अदायगी जहाँ उस अवधि के दौरान राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी, को **तालिका-2.1.3.11** में दर्शाया गया है।

⁵⁶ एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आईसीएसआईएल, डीएमएसएल, डीएलएल तथा डीसीएडीएल को छोड़कर

⁵⁷ डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीटीआईडीसी, डीएफसी एवं जीडीएल

⁵⁸ एसआरडीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर मुनाफा वाली कम्पनी है।

तालिका-2.1.3.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान नौ सा.क्षे.उ. का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जहाँ राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान किया		लाभांश अदायगी अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii=vii/v*100
2014-15	9	2,083.51	6	81.61	1	0.50	0.61
2015-16	9	2,083.51	7	99.66	1	0.50	0.50
2016-17	9	2,083.51	7	99.66	1	0.50	0.50
2017-18	9	2,083.51	5	66.74	1	0.50	0.75
2018-19	9	2,090.92	4	34.69	0	0	-

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या चार से सात तक थी। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान, केवल एक सा.क्षे.उ. (डीएससीएससी) ने राराक्षेदिस को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया तथा लाभांश अदायगी भुगतान अनुपात 0.50 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक था। 2018-19 के दौरान लाभ कमाने वाली चार कंपनियों में से किसी ने लाभांश भुगतान नहीं किया।

राज्य सरकार सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान के लिए लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करने वाली एक लाभांश नीति तैयार करे।

इक्विटी पर प्रतिफल

2.1.3.19 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि प्रबंधन लाभ अर्जित करने के लिए शेयरधारकों की निधि का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि के द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात् निवल लाभ) को भाग करके की जाती है। इसे एक प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए परिकल्पित किया जा सकता है जब निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हों।

किसी कंपनी के शेयरधारकों के निधि की गणना प्रदत्त पूँजी तथा संचित हानि का फ्री रिजर्व्स नेट, एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और इससे पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान हो जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष

बच जाएगा। एक धनात्मक शेयरधारी की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ संपत्तियों से अधिक हैं।

नौ उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में आर.ओ.ई. की गणना की गई है जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियाँ निवेश की गई थीं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित शेयरधारकों की निधि तथा आर.ओ.ई. का विवरण तालिका-2.1.3.12 में दिए गए हैं।

तालिका-2.1.3.12: सा.क्षे.उ. जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियाँ निवेशित की गई थीं, से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	नौ सा.क्षे.उ. का कर के पश्चात निवल लाभ/हानि (₹ करोड़ में)		नौ सा.क्षे.उ. के शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)		आर.ओ.ई. (प्रतिशत)	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	-1,239.98	123.76	-16,382.60	604.57	-	20.47
2015-16	-2,802.44	115.32	-19,157.90	747.03	-	15.44
2016-17	-3,380.74	30.36	-22,473.24	842.91	-	3.60
2017-18	-3,775.19	68.43	-26,215.63	944.01	-	7.25
2018-19	-4,296.07	33.34	30,496.45	992.61	-	3.36

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

गत पाँच वर्षों के दौरान, दि.प.नि. के अलावा आठ कंपनियों के संबंध में निवल आय, सभी पाँच वर्षों के लिए धनात्मक थी, तथा परिणामस्वरूप, इक्विटी पर 3.36 प्रतिशत से 20.47 प्रतिशत तक धनात्मक प्रतिफल मिला। हालाँकि, दि.प.नि. द्वारा भारी नुकसान उठाए जाने, जो 2014-15 में ₹ 1,363.74 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,329.41 करोड़ हो गया, के कारण नौ कंपनियों के लिए निवल आय सभी पाँच वर्षों में ऋणात्मक हो गया और इस प्रकार, इस अवधि के लिए आर.ओ.ई. नहीं निकाला जा सका।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2.1.3.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व

उपार्जन (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁵⁹ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) का कुल आरओसीई का विवरण तालिका-2.1.3.13 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष ⁶⁰	सा.क्षे.उ. के लिए ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)		सा.क्षे.उ. के लिए नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)		सा.क्षे.उ. ⁶¹ के लिए आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत)	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	1,356.53	230.07	-4,614.54	696.49	-	33.03
2015-16	94.89	176.68	-7,396.50	832.29	-	21.23
2016-17	3.91	112.61	-10,673.17	966.84	-	11.65
2017-18	180.58	174.00	-14,438.43	1,045.07	-	16.65
2018-19	376.98	201.39	-18,765.59	1,047.33	-	19.23

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेख

मार्च 2019 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, दि.प.नि. के अतिरिक्त अन्य आठ कंपनियों के संबंध में समग्र नियोजित पूँजी, सभी पाँच वर्षों के लिए धनात्मक थी एवं परिणामस्वरूप, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल भी 11.65 प्रतिशत से 33.03 प्रतिशत तक धनात्मक था। हालाँकि, दि.प.नि. को शामिल किए जाने से, इन कंपनियों के लिए नियोजित पूँजी सभी पाँच वर्षों के लिए ऋणात्मक हो गयी।

सा.क्षे.उ. के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण

2.1.3.21 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण कंपनियों द्वारा ली गई ऋण को सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका निर्धारण ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण बिक्री अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

⁵⁹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + दीर्घवधि ऋण + निर्बाध आरक्षितियाँ- संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

⁶⁰ वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

⁶¹ डीटीसी सहित सा.क्षे.उ. के लिए नियोजित पूँजी सभी वर्षों के लिए नकारात्मक है और इस प्रकार, उस वर्ष के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकती।

ब्याज कवरेज अनुपात

2.1.3.22 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी सा.क्षे.उ. की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उस अवधि की ब्याज व्यय से सा.क्षे.उ. के ईबीआईटी को विभाजित करके किया जाता है। अनुपात जितना कम होगा, सा.क्षे.उ. की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि सा.क्षे.उ. ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जिन सा.क्षे.उ. में ब्याज भार था, उनसे संबंधित धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-2.1.3.14 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.14: राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाली सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	2,518.35	1,356.52	7	3	4 ⁶²
2015-16	2,862.25	94.88	6	3	3 ⁶³
2016-17	3,325.38	3.91	6	3	3 ⁶⁴
2017-18	3,874.95	166.31	6	2	4 ⁶⁵
2018-19	4,509.40	171.13	6	1 ⁶⁶	5 ⁶⁷

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

2018-19 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले छः सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में से, एक सा.क्षे.उ. का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था जबकि दो सा.क्षे.उ. में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि ये दो सा.क्षे.उ. उस अवधि के दौरान ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके। शेष तीन सा.क्षे.उ. में कोई ब्याज देयता नहीं था।

⁶² डीएससीएससी, जीडीएल, डीसीएडी एवं डीटीसी

⁶³ डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी एवं डीसीएडी

⁶⁴ डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीटीसी

⁶⁵ डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीटीसी

⁶⁶ डीएससीएफडीसी

⁶⁷ डीएफसी एवं डीटीसी के पास 1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात था। डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीएलएल के पास ब्याज देयता नहीं है।

ऋण टर्नओवर अनुपात

2.1.3.23 विगत पाँच वर्षों के दौरान, सा.क्षे.उ. के टर्नओवर में 1.05 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक गिरावट तथा ऋण में 0.08 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2014-15 में 2.58 से घटकर 2018-19 में 2.68 हो गया जैसा कि नीचे तालिका-2.1.3.15 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.15: राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार तथा अन्य (बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों) से ऋण	11,768.09	11,761.43	11,800.10	11,801.24	11,730.94
टर्नओवर	4,569.35	4,186.91	4,100.76	3,940.75	4,380.59 ⁶⁸
ऋण टर्नओवर अनुपात	2.58:1	2.81:1	2.88:1	2.99:1	2.68:1

स्रोत: वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक लेखापरीक्षा किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 को प्राप्त नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं।

इस अवधि के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 2.58 तथा 2.99 के बीच था।

राज्य सा.क्षे.उ. के लेखे पर टिप्पणियाँ

2.1.3.24 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 11 कंपनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखे को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। ये सभी 11⁶⁹ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयन कर लिए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखे की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का कुल धनमूल्य का विवरण तालिका-2.1.3.16 में दिया गया।

⁶⁸ 14 कंपनियों के लिए टर्नओवर

⁶⁹ 11 लेखे में से छः लेखे की लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2019 तक प्रगति पर था।

तालिका-2.1.3.16: कार्यशील कंपनियों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) पर
लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	15.94	2	39.36	2	17.30
2.	लाभ में वृद्धि	0	0	1	0.05	2	9.41
3.	हानि में वृद्धि	0	0	1	4.45	2	152.50
4.	हानि में कमी	1	0.06	1	0.4	2	2.12
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों की गैर-प्रकटीकरण	1	7.96	1	1.22	1	165.29
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	0	0	1	1.74	1	16.13

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. के टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक⁷⁰ लेखा पर प्रतिकूल मत, पाँच⁷¹ लेखे के लिए योग्य प्रमाण-पत्र तथा पाँच⁷² लेखे के लिए अयोग्य प्रमाण पत्र जारी किए। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों के गैर-अनुपालन के नौ दृष्टांत को इंगित किया।

2.1.3.25 राराक्षेदिस के दो सांविधिक निगम हैं, जैसे (i) दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) तथा (ii) दिल्ली वित्त निगम (दि.वि.नि.)। नि.म.ले.प., दि.प.नि. का एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, दि.प.नि. ने वर्ष 2017-18 के अपने वार्षिक लेखाओं को प्रेषित किया जबकि दि.वि.नि. के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया गया। दोनों लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. की एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षा ने लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता को इंगित किया।

सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के समग्र धन मूल्य तथा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के विवरण तालिका-2.1.3.17 में दिए गए हैं:

⁷⁰ डीटीआईडीसी (2016-17)

⁷¹ डीएससीएफडीसी (2011-12), डीएससीएससी (2017-18), डीएसआईआईडीसी (2017-18), एनडीएमसी स्मार्ट सिटी (2017-18) तथा डीएलएल (2018-19)

⁷² डीटीटीडीसी (2018-19), डीएमएल (2018-19), डीसीएडी (2018-19), जीडीएल (2018-19) तथा एसआरडीसी (2018-19)

तालिका-2.1.3.17: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	3.78	1	10.56	0	0
2.	लाभ में वृद्धि	0	0	1	0.37	0	0
3.	हानि में वृद्धि	1	2,389.34	1	2,332.74	1	11.09
4.	हानि में कमी	1	15.1	1	19.65	1	0.18
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	2	127.94	2	125.39	0	0
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	25.24	1	1.02	0	0

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया जवाब

2.1.3.26 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभागों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से पुनरीक्षित किया हुआ ऐक्शन टेकेन नोट (एटीएन) सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगु) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.3.18 में दी गई है।

तालिका-2.1.3.18: विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति (31 मार्च 2020 को)

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निलेप) तथा पैराओं		निलेप/पैराओं की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		नि.ले.	पैराओं	नि.ले.	पैराओं
2014	30.06.2015	1	2	0	0
2015	13.06.2016	1	1	0	0
2016	10.03.2017	0	3	0	1
2017	03.04.2018	1	5	0	0
2018	03.12.2019	1	2	1	2

स्रोत: राराक्षेदिस से प्राप्त एटीएन पर आधारित संकलन

सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

2.1.3.27 सा.क्षे.उ. (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा पैराग्राफों जिन्हें 31 मार्च 2020 को कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में दर्शाया गया था, पर चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.3.19 में दी गई है।

तालिका-2.1.3.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निलेप/पैराओं जिनकी कोगू में चर्चा की गई है की स्थिति (31 मार्च 2020 तक)

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/पैराओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित		चर्चा किए गए पैराओं	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैराओं	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैराओं
2014	1	2	1	0
2015	1	1	0	0
2016	0	3	0	0
2017	1	5	0	0
2018	1	2	0	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

2.1.3.28 2014 से 2018 की अवधि के लिए कोगू से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।

उद्योग विभाग

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

2.2 बवाना एवं नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण

2.2.1 भूमिका

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (राराक्षेदिस) के लिए औद्योगिक नीति 2010-21 में बेहतर परिचालन एवं अनुरक्षण के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों (औ.क्षे.) के अवसंरचना विकास की कल्पना की गई क्योंकि नियोजित औद्योगिक सम्पदा का बुनियादी ढाँचा खराब था और जल भराव, खराब गुणवत्ता की सड़कों एवं अतिक्रमणों से ग्रसित था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाध्यताओं का सामना योजनागत अवसंरचना बनाने तथा औद्योगिक विकास में वित्त पोषण से हो रहा था। इसके अनुसरण में रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों, आद्योगिक संपदा तथा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों जिसमें एकल कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)⁷³ शामिल है, की सुव्यवस्थित स्थापना के उद्देश्य से दिल्ली औद्योगिक विकास एवं अनुरक्षण अधिनियम 2010 (डीआईडीओएम) बनाया गया (मार्च 2010)। डीआईडीओएम अधिनियम के अनुसार, डीएसआईआईडीसी को औद्योगिक क्षेत्रों, संपदाओं एवं एफएफसी अर्थात् भूमि, बिल्डिंग तथा अचल मर्दों के निपटान, सभी फीस, शुल्कों, किराया इत्यादि से प्राप्त सभी पैसों को जमा कर के औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक संपदा एवं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों (एफएफसी) के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए एक कोष बनाने की अनुमति दी गई थी।

उद्योग विभाग, राराक्षेदिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (1996) के अनुसार, डीएसआईआईडीसी को उद्योगों के पुनर्वास का कार्य आवासीय क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए सौंपा गया (1998)। पुनर्वास योजना के अन्तर्गत, बवाना तथा आसपास के गाँवों - नरेला, बादली, झिलमिल एवं पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण किया गया।

दिल्ली के पास 4,647 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ 33 औ.क्षे. है। इस कुल क्षेत्र में से जुलाई 2020 तक बवाना (1,922 एकड़) तथा नरेला (496 एकड़) औ.क्षे. का 2,418 एकड़ (52.03 प्रतिशत) है। बवाना तथा नरेला⁷⁴ औ.क्षे. पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 2001-02 में विकसित किए गए। अगस्त 2019

⁷³ पीएसयू स्थापित 1971 में

⁷⁴ नरेला औ.क्षे. प्रारंभ में 1978 अस्तित्व में आया और पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आगे विकसित किया गया।

तक 16,312 प्लॉटों में से 15,756 बवाना औ.क्षे. में तथा 3,376 प्लॉटों में से 3,222 नरेला औ.क्षे. में अधिग्रहण किए गए।



चित्र 1: राराक्षेदिस का मानचित्र, बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के सांकेतिक स्थान के साथ

राराक्षेदिस द्वारा बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में विकास और परिचालन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर करने की मंजूरी दी गई (मार्च 2010)। बवाना तथा नरेला में औ.क्षे. को शामिल करते हुए, औ.क्षे. के पुनर्विकास हेतु परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईडीएफसी) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया (जनवरी 2009)।

डीएसआईआईडीसी ने तथापि, बवाना और नरेला औ.क्षे. के लिए मौजूदा अवसंरचना का अभ्युत्थान एवं पुनर्विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी से अपग्रेड-ऑपरेट-मेनटेन-ट्रॉसफर (यूओएमटी) आधार पर करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए आईडीएफसी ने परियोजना लाईफ-साईकल लागत (पूँजी तथा परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय सहित) तथा कुल राजस्व (अनुरक्षण शुल्कों तथा अन्य शुल्कों) का अनुमान लगाया तथा निष्कर्ष निकाला कि परियोजनाओं के

लिए निजी रियायत प्राप्तकर्ताओं को डीएसआईआईडीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी।

एन्यूटि भुगतान (पुनर्विकास कार्यों के पूर्ण होने की तिथि से) हेतु सबसे कम बोली के आधार पर, बवाना तथा नरेला में औ.क्षे. के पुनर्विकास एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः मैसर्स बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स बवाना) तथा मैसर्स पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स पीएनसी) को आबंटित किया गया। दोनों औ.क्षे. हेतु रियायत समझौते जुलाई 2011 में हुए। बवाना और नरेला औ.क्षे. के पुनर्विकास का कार्य क्रमशः दिसम्बर 2013 एवं अक्टूबर 2013 में पूरे⁷⁵ हुए। तथापि, औ.क्षे. के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

2.2.1.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

सभी आवश्यक अवसंरचना जैसे कि सड़कों, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग और पार्किंग सुविधाओं के साथ एक आधुनिक औद्योगिक संपदा उपलब्ध कराने के लिए बवाना और नरेला औ.क्षे. विकसित किए गए थे।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य आकलन करना था कि क्या:

- बवाना तथा नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हो रहा था;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं के निष्पादन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए कोई तंत्र मौजूद और पर्याप्त था; तथा
- औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा जाँच मई 2019 से नवम्बर 2019 की अवधि के दौरान की गई। लेखापरीक्षा ने बवाना और नरेला औ.क्षे. के परिचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित 2016-17 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा ने डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से ठोस अपशिष्ट के डंपिंग, सड़कों एवं पार्कों आदि की सफाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन आदि के जाम होने तथा ओवरफ्लो होने से संबंधित औ.क्षे. का भौतिक सत्यापन भी किया। लेखापरीक्षा ने प्रश्नावली के माध्यम से औ.क्षे. में रियायत प्राप्तकर्ताओं

⁷⁵ थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण-पत्र के अनुसार

द्वारा दिए गए सेवा सुविधाओं की गुणवत्ता के बारे में सूचना प्राप्त की तथा 483 औद्योगिक इकाइयों और तीन औद्योगिक संघों से भी सूचना प्राप्त की। प्रबंधन के साथ प्रविष्टि एवं निर्गम सम्मेलन क्रमशः 30 अप्रैल 2019 और 29 जनवरी 2020 को हुए। सरकार से प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के जवाब अगस्त 2020 में प्राप्त हुए तथा उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

रियायत समझौते की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता परियोजना सुविधाओं अर्थात् सड़कों, ड्रेन, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट निपटान आदि का परिचालन और अनुरक्षण समझौते में दिए गए सेवा स्तर मानकों के अनुसार करें। तथापि, डीएसआईआईडीसी प्रगति/निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सेवा सुविधाओं की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

2.2.2 संग्रहण का वित्तीय प्रबंधन एवं रियायत प्राप्तकर्ताओं को भुगतान

रियायत समझौते के खण्ड 11.4 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता एन्युटि प्रारंभ होने की तिथि⁷⁶ से अनुरक्षण शुल्क लगाने तथा संग्रह करने के हकदार थे तथा नियुक्त तिथि⁷⁷ से यूनिट धारकों से पानी, सीवरेज शुल्क एवं सीईटीपी शुल्क/संग्रह किए गए शुल्कों को एक निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाना था। खण्ड 11.6 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता एक एस्करो खाता खुलवाएगा और डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता को प्राप्य एवं देय सभी भुगतानों को महीना खत्म होने के 15 दिनों के भीतर इस खाते में जमा करेगा।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा जमा की गई संग्रहण राशि सेवा स्तर की कमियों यदि कोई हो के लिए लगाए गए जुर्माने को घटाने के बाद इसे एस्करो खाते के माध्यम से भुगतान किया जाना था, पानी तथा बिजली बिल रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा देय था परन्तु डीएसआईआईडीसी द्वारा भुगतान किया

⁷⁶ एन्युटि प्रारंभ की तिथि वह तिथि है जिस पर सभी अनिवार्य कैपिटल परियोजनाओं के संबंध में रियायत समझौता के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। रियायत समझौता के खण्ड 9.10 के अनुसार, परियोजना पूर्ण माना जाएगा जब पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा अंतिम प्रमाण-पत्र, जैसा मामला हो, जारी किया जाता है। नरेला औ.क्षे. के मामले में पीसी 31.10.2013 को जारी किया गया तथा बवाना औ.क्षे. के मामले में 15.12.2013 को।

⁷⁷ नियुक्ति की तिथि (15 दिसम्बर 2011) वह तिथि है जब रियायत प्राप्तकर्ताओं और डीएसआईआईडीसी रियायत समझौता के खण्ड 3.2 तथा 3.3 में उल्लेखित अपने संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं।

गया तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्यालय परिसर का किराया लिया गया।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा औद्योगिक इकाईयों से किए गए संग्रहण में से किए गए जमा तथा डीएसआईआईडीसी द्वारा 2012-13 से 2018-19 की अवधि में इसे किए गए भुगतान के विवरण नीचे तालिका 2.2.1 में दिये गये हैं। प्रत्येक औ.क्षे. द्वारा संग्रह किए गए मासिक शुल्कों का विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिए गए हैं।

तालिका-2.2.1 रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नामित खाते में जमा किए गए तथा डीएसआईआईडीसी एस्करो खाते में जारी किए गए मासिक शुल्कों के विवरण

(₹ करोड़ में)

औ.क्षे.	सीईटीपी	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	नामित खाते में जमा की गई कुल राशि	एस्करो खाते में जारी की गई राशि
बवाना	56.65	48.23	144.22	249.10	205.34
नरेला	20.57	11.55	57.42	89.54	80.90
कुल	77.22	59.78	201.64	338.64	286.24

2.2.2.1 मासिक संग्रहण राशि के जारी करने से पहले प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर जोर देने में डीएसआईआईडीसी की विफलता

रियायत समझौते के खण्ड 11.7(अ) के अनुसार, परियोजना से जुड़े हुए आय एवं व्यय से संबंधित रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा डीएसआईआईडीसी को उपलब्ध कराए गए कोई दावा या दस्तावेज तभी मान्य और प्रभावी होगा यदि वह रियायत प्राप्तकर्ता के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2019 तक रियायत प्राप्तकर्ताओं को जारी किए गए ₹ 286.24 करोड़ सीईटीपी से संग्रहण से संबंधित है, अनुरक्षण और पानी शुल्क पूरी तरह से रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्व-प्रमाणन पर आधारित था तथा एस्करो खाते में जारी की गई राशि का उपयोग परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर किया गया, यह वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन पर आधारित नहीं था जैसा कि रियायत समझौते के तहत आवश्यक था।

आगे, डीएसआईआईडीसी के पास व्यक्तिगत यूनिट धारकों द्वारा देय और भुगतान किए गए मासिक शुल्कों का विवरण नहीं था, जो रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा संग्रह एवं जमा राशि का मिलान करने के लिए आवश्यक था। चूँकि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी संग्रह नकद में किए जा रहे थे,

यूनिट-वार विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा में संग्रहण की को सत्यापित नहीं किया जा सका।

सरकार ने अपने जवाब (अगस्त 2020) में इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.2.2 अनुरक्षण शुल्कों का निर्धारण

राराक्षेदिस ने अधिसूचित किया (जनवरी 2012) कि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बिल्डिंग, अनुरक्षण और परियोजना सुविधाओं के परिचालन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर (व.मी.) की दर से मासिक अनुरक्षण शुल्क औद्योगिक यूनिटों से (एन्यूटि प्रारंभ होने की तिथि से) संग्रह होगा। इसके अलावा, बिल्डिंग अनुरक्षण तथा प्रबंधन एवं परियोजना सुविधाओं के परिचालन में शामिल व्यय के संबंध में मासिक अनुरक्षण शुल्कों में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार वार्षिक वृद्धि की गई। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर तथा समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ताओं ने ₹ 10 प्रति व.मी. की दर से अनुरक्षण शुल्क, एन्यूटि प्रारंभ होने की तिथि (31 अक्टूबर 2013 - नरेला औ.क्षे. और 15 दिसम्बर 2013 - बवाना औ.क्षे.) से संग्रह करना शुरू कर दिया और ये वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्रमशः ₹ 11.51, ₹ 11.98, ₹ 12.34 और ₹ 12.70 प्रति व.मी. कर दिए गए।

मासिक अनुरक्षण शुल्क ₹ 10 प्रति व.मी. निर्धारण का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा, सभी औद्योगिक इकाइयों में अनुरक्षण शुल्क समान थे, भले ही उनका औद्योगिक प्रकार कुछ भी हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की अनुरक्षण आवश्यकताओं में भिन्नता है। आगे, वार्षिक आधार पर मासिक अनुरक्षण शुल्क में वृद्धि की अनुमति उचित नहीं थी क्योंकि रियायत प्राप्तकर्ताओं ने इन औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किए गए व्यय विवरण के साथ-साथ पैरा 2.2.2.1 में कथित रियायत समझौते के अनुसार इनमें से किसी भी वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों के प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं करवाए गए।

सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2020) कि उचित विचार करने के बाद, प्रारंभिक अनुरक्षण शुल्क ₹ 10 प्रति व.मी. अपना लिया गया और 2012 की अधिसूचना के अनुसार लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित वृद्धि की अनुमति दी गई। सरकार, हालांकि, अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा कि ₹ 10 प्रति व.मी. अनुरक्षण शुल्क उचित विचार करने के बाद निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण

शुल्क का संग्रह परिचालन एवं प्रबंधन में शामिल वास्तविक व्यय से संबंध नहीं था। इससे इंगित होता है कि अनुरक्षण शुल्क वास्तविक अनुरक्षण आवश्यकताओं एवं व्ययों पर विचार किए बिना, अवैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किए गए थे।

2.2.2.3 पार्किंग, पानी और सीवर कनेक्शन शुल्कों की गैर-वसूली/समायोजन

रियायत समझौते के खण्ड 11.4 (अ) के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता केवल अनुरक्षण, पानी शुल्कों, सीवरेज शुल्कों एवं सीईटीपी शुल्कों का संग्रह करने के लिए अधिकृत है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं को पार्किंग शुल्क भी संग्रह करने के लिए क्रमशः मार्च 2016 और जून 2016 में अधिकृत किया। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने सितम्बर/अक्टूबर 2018 में जून 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए केवल नरेला औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रह किए गए ₹ 45.93 लाख पार्किंग शुल्क वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि पर ₹ 3.59 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ। बवाना औ.क्षे. के मामले में, चूँकि डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रह किए गए पार्किंग शुल्कों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा, लेखापरीक्षा डीएसआईआईडीसी को हुए नुकसान की सीमा का आकलन नहीं कर सका।
- नरेला औ.क्षे. का रियायत प्राप्तकर्ता पानी और सीवर कनेक्शन शुल्कों का संग्रह करने के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा अधिकृत नहीं था। तथापि, रियायत प्राप्तकर्ता बिना किसी प्राधिकार के 2013-14 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 1.06 करोड़ का शुल्क संग्रह किया। यद्यपि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत मासिक मिलान विवरणों में इन शुल्कों के संग्रहण का विवरण विशेष रूप से वर्णित था, तथापि, डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता को भुगतान जारी करते समय इसे नामित खाते से आज तक (अगस्त 2020) वसूल करने में विफल रहा। इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी को ₹ 29.75 लाख⁷⁸ के ब्याज का परिहार्य नुकसान हुआ, जो उस पर अर्जित किया जा सकता था।
- बवाना औ.क्षे. के संबंध में, डीएसआईआईडीसी ने यूनिट धारकों को पानी एवं सीवर कनेक्शन की मंजूरी देने और शुल्क संग्रह करने तथा उस राशि को नामित खाते में जमा करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता (दिसम्बर 2016)

⁷⁸ जुलाई 2019 तक संगणित

को अधिकृत किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी 24 फरवरी 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 1.11 करोड़ के संग्रह की वसूली करने में विफल रहा तथा ये कटौती मार्च तथा अप्रैल 2018 में की गई। बाद की अवधि 21 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 के लिए ₹ 1.11 करोड़ का शुल्क अप्राप्य रहा। इससे उस पर ₹ 12.05 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि नरेला औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता से पार्किंग शुल्क की वसूली जुलाई 2017 के बाद से की गई जब रियायत प्राप्तकर्ता ने इसे बैंक खाते में जमा करना शुरू किया। जवाब इसकी पुष्टि करता है कि यद्यपि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली जून 2017 से की गई, डीएसआईआईडीसी द्वारा इसकी वसूली केवल सितम्बर और अक्टूबर 2018 में की गई। सरकार ने नरेला औ.क्षे. में अप्रैल 2016 से मई 2017 तक की अवधि के लिए तथा बवाना औ.क्षे. के संबंध में सम्पूर्ण अवधि के लिए पार्किंग शुल्क के संग्रह के बारे में जवाब नहीं दिया। सरकार ने पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्कों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया।

2.2.2.4 बिजली और पानी बिल के भुगतान में विलंब

समझौते के खण्ड 6.10 के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता को बिजली और पानी के बिलों का भुगतान युटिलिटी प्रदाता को करना था। लेखापरीक्षा ने तथापि देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि अर्थात् 2016-17 से 2018-19 के दौरान बवाना औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता कई बार युटिलिटी प्रदाता को बिजली बिलों एवं पानी बिलों का भुगतान करने में विफल रहा। क्षेत्र में इन युटिलिटीज की निरंतर सेवाएँ बनाए रखने के लिए डीएसआईआईडीसी ने बिजली और पानी बिलों का भुगतान किया, जिससे रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ मिला। डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता की ओर से लगातार विफलता के बावजूद रियायत प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की थी। डीएसआईआईडीसी द्वारा मेसर्स बवाना की ओर से सीधे भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 9.34 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ, जो डीएसआईआईडीसी द्वारा अर्जित किया जा सकता था, यदि युटिलिटीज को सीधे तौर पर भुगतान नहीं किया होता।

2.2.3 थर्ड पार्टी इंजीनियर की नियुक्ति

रियायत समझौते का खण्ड 10.1 अनुबंध करता है कि डीएसआईआईडीसी समझौते और अच्छे उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार रियायत

प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए प्रोजेक्ट सुविधाओं/कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार (“थर्ड पार्टी इंजीनियर” (टीपीई)) की नियुक्ति करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीएसआईआईडीसी दिसम्बर 2011 में टीपीई के साथ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹ 90 लाख⁷⁹ के पारिश्रमिक पर समझौता किया। आगे देखा गया कि टीपीई की नियुक्ति प्रस्तावों की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी बोली के नामांकन आधार पर किया गया। प्रतिस्पर्धात्मक दरों की उपलब्धता के अभाव में, टीपीई को दी जाने वाली दरों की तर्कसंगतता को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया जा सका। यद्यपि टीपीई नामांकन आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दिसम्बर 2014 तक नियुक्त किया गया था, तथापि, इसका कार्यकाल नया टीपीई नियुक्त करने के लिए प्रयास किए बिना मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद, डीएसआईआईडीसी ने नया टीपीई नियुक्त करने के लिए अप्रैल 2017 से चार बार बोली आमंत्रित किया परन्तु खराब प्रतिक्रिया की वजह से किसी फर्म का चयन नहीं हो सका तथा मौजूदा टीपीई को कार्यकाल को अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया। बाद में, नामांकन आधार पर नया टीपीई को ₹ 1.60 लाख प्रति माह और ₹ 1.40 लाख प्रति माह की पारिश्रमिक पर क्रमशः बवाना एवं नरेला औ.क्षे. के लिए नियुक्त किया गया (सितम्बर 2019)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई के कार्यकाल को इसके निष्पादन को संतोषजनक मानते हुए तीन वर्षों की सहमत अवधि पूरा होने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया। यद्यपि टीपीई ने सौंपे गए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जैसा कि पैरा 2.2.5.1 में वर्णित है, परन्तु इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनकी सेवाओं में कमियों के लिए टीपीई के साथ किए गए समझौते में जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं था।

यह उल्लेख करना उचित है कि 2015 में टीपीई को एक्सटेंशन देते समय डीएसआईआईडीसी के सक्षम प्राधिकारी (सीएमडी) ने समझौते में जुर्माने का उपबंध शामिल करने का निर्देश दिया था परन्तु उसका पालन नहीं किया गया और टीपीई को एक्सटेंशन देते समय तथा नए टीपीई को नामांकन आधार पर कार्य अर्वाइ करते समय ऐसा कोई उपबंध शामिल नहीं था।

⁷⁹ ₹ 3 लाख * 12 महीना * 2 वर्ष = ₹ 72 लाख पुनर्विकास अवधि के दौरान जोड़ ₹ 1.50 लाख * 12 महीना * 1 वर्ष = ₹ 18 लाख प्रत्येक औ.क्षे. के लिए वर्ष की अनुरक्षण अवधि के लिए।

2.2.4 औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियाँ

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बवाना एवं नरेला औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

2.2.4.1 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के निपटान में कमियाँ

रियायत समझौते की अनुसूची 2 के खण्ड 2डी के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट के निपटान से संबंधित सुविधाएँ देना था। अनुसूची 3 डी (iii) के अनुसार एमएसडब्ल्यू के लिए सेवा स्तर मानकों (एसएलएस) की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ताओं एमएसडब्ल्यू के उचित परिवहन, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, उपचार सुविधा के लिए परिवहन अथवा लैंडफिल सुविधा, और बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन-बायोडिग्रेडेबल घटकों में अपशिष्ट के पृथक्करण को सुनिश्चित करे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बवाना और नरेला औ.क्षे. में एमएसडब्ल्यू का निपटान बहुत खराब था क्योंकि ठोस अपशिष्टों के खुले में, स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेन में तथा सीवरेज सिस्टम में डम्पिंग की घटनाएँ विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे कि; शिकायत निवारण समिति (जीआरसी), मेनटेनेन्स बोर्ड (एमबी) की बैठकों आदि में लगातार सूचित किए गए। एम.एस.डब्ल्यू. के निपटान हेतु समझौते में यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता 4-5 कि.मी. के भीतर लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट का निपटान करे। तथापि, अपशिष्ट का निपटान करने हेतु उपयोग/प्रदान किया गया लैंडफिल साइट (लगभग) 20 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित था। यह समझौते के खराब निर्धारण को दर्शाता है। यह डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा भी अवलोकन किया गया, जैसाकि नीचे चित्रों में दिखाया गया है:



चित्र 1 एवं 2: बवाना औ.क्षे. में खुले क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू डम्पिंग के उदाहरण, संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 3: नरेला औ.क्षे. में खुले क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू डम्पिंग के उदाहरण, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान अवलोकन किया गया।

आगे अवलोकन किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति (ईपीसीए) ने डीएसआईआईडीसी को निर्देश (दिसम्बर 2017) दिया कि बवाना और नरेला औ.क्षे. से अपशिष्ट का निपटान मेसर्स रामकी लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे बवाना में अपशिष्ट ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र में किया जाए ताकि संचय होने के साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोका जा सके। डीएसआईआईडीसी ने अक्टूबर 2018 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किया, तथा जुलाई 2019 तक 49,827 मिट्रिक टन मलबा (गारबेज) डब्ल्यूटीपी संयंत्र पर निपटान किया गया। उपरोक्त में से, करीब 34,123 मिट्रिक टन गारबेज अक्टूबर 2018 तक की अवधि से संबंधित है जो अक्टूबर 2018 से पूर्व की अवधि के दौरान गारबेज संचय को इंगित करता है। यह रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा गारबेज के निपटान हेतु अपर्याप्त प्रयासों तथा औ.क्षे. के परिसंचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान डीएसआईआईडीसी द्वारा इसके अपर्याप्त निगरानी को दर्शाती है।

ईपीसीए ने भी अक्टूबर 2018 में औ.क्षे. के अपने दौरे में ठोस अपशिष्ट के खुले में डम्प करने तथा जलाने की घटनाओं को देखा, तथा निर्देश दिया कि खाली भूखण्डों के चारों ओर उसमें कुड़ा डम्प करने से रोकने के लिए चाहरदीवारी बनाया जाए। तथापि, केवल बवाना औ.क्षे. में इसके लिए कार्रवाई शुरू की गयी (मई 2019)।

ईपीसीए के दौरे के बाद ही डीएसआईआईडीसी द्वारा निरीक्षणों, चूककर्त्ता यूनिटों को सील करने, तथा सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने के लिए चूककर्त्ता की सूचियों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को भेजने के रूप में कुछ कार्रवाई की गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई ने बार-बार एमएसडब्ल्यू (अनुलग्नक-2.10) के निपटान में कमियों को उजागर किया था जो रियायत प्राप्तकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं (एक बार मई 2018 में छोड़कर

जब मेसर्स बवाना पर ₹ 18.55 लाख का जुर्माना लगाया गया) पर एमएसडब्ल्यू के उचित रूप से निपटान करने में उनकी विफलता के लिए जुर्माना नहीं लगाया।

सरकार ने स्वीकार किया (अगस्त 2020) कि ढलाऊ⁸⁰ समय-समय पर भर गया। सरकार ने आगे कहा कि डीएसआईआईडीसी ने खुद सर्वे/निरीक्षण कराया और रियायत प्राप्तकर्ताओं पर मासिक आधार पर वसूली फरवरी 2019 के बाद से किए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि यद्यपि अक्टूबर 2018 के बाद परिस्थिति में सुधार हुआ है और नियमित जुर्माना फरवरी 2019 से लगाना शुरू हुआ, खुले में, स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन आदि में ठोस अपशिष्ट डम्प करने की घटनाएँ अभी भी जीआरसी बैठक में सूचित किया जाना जारी है जैसा कि पैरा 2.2.5.3 में बताया गया है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में इन कमियों के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की कमी के बारे में जवाब नगण्य था।

2.2.4.2 ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम के अनुरक्षण तथा कॉमन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियाँ

स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन के लिए रियायत समझौते की (अनुसूचि 3 ए (III) के खण्ड 3 ए 3 (II)) सेवा स्तर मानकों (एसएलएस) की आवश्यकता है कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन में सीवेज का मिश्रण नहीं है, स्ट्रॉम-वाटर प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अन्तराल पर ड्रेनों की सफाई की जाती है, खुले क्षेत्रों में स्ट्रॉम-वाटर नहीं बहाया जाता जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़/जल जमाव हो। आगे, सीवरेज सिस्टम के संबंध में एसएलएस (अनुसूचि 3 सी (III) के खण्ड 3 सी 3(II)) की आवश्यकता है कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि सीवर कनेक्शन सिस्टम में कोई रिसाव नहीं है और बंद इनलेट्स और ड्रेन की जाँच करे। सीईटीपी के अनुरक्षण की आवश्यकता यह है कि रियायत प्राप्तकर्ता एसएलएस (अनुसूचि 3 सी (III) के खण्ड 3 सी 3(II)) को पूरा करने के लिए डिस्चार्ज आवश्यकता के अनुसार सीवेज प्रवाह के अंतिम निक्षेप, नियमित अन्तराल पर पानी की गुणवत्ता का आउटफॉल परीक्षण तथा कीचड़ के पर्याप्त निपटान को सुनिश्चित करे।

⁸⁰ एमएसडब्ल्यू के भंडारण के लिए ठोस संरचना



चित्र 4 एवं 5: नरेला औ.क्षे. में जाम ड्रेनों और अतिप्रवाह ड्रेनों, जैसा कि जनवरी 2020 में भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 6 एवं 7: ड्रेनों में अपशिष्टों का डम्पिंग तथा बवाना औ.क्षे. में जाम ड्रेनों, जैसा कि दिसम्बर 2019 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभिन्न एजेंसियों जैसे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित यमुना नदि के लिए निगरानी समिति, उद्योग विभाग, राराक्षेदिस, मेनटेनेन्स बोर्ड इत्यादि ने औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों में और अन्ततः बिना उपचार के मुख्य ड्रेन में बहाव की कई दृष्टांतों पर ध्यान दिया, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहे हैं। आगे, डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों के साथ बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने ऐसी दृष्टांतों का अवलोकन किया जैसा कि ऊपर चित्रों में दिखाया गया है।

बवाना और नरेला औ.क्षे. दोनों के औद्योगिक संघों और यूनिट धारकों ने शिकायत निवारण समिति तथा मेनटेनेन्स बोर्ड की विभिन्न बैठकों में जाम ड्रेनों और सीवर्स के मुद्दों को बार-बार उठाया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई ने सीईटीपी, ड्रेन तथा सीवर (अनुलग्नक-2.10) से गाद न हटाए जाने को बार-बार (जनवरी 2016 से) उजागर किया, जो रियायत प्राप्तकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं पर ड्रेनेज एवं सीवरेज तथा सीईटीपी का अनुरक्षण करने में उनकी विफलता के लिए जुर्माना (एक बार

मई 2018 में छोड़कर जब मेसर्स बवाना पर ₹13.60 लाख का जुर्माना लगाया गया) नहीं लगाया।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन का मामला निगरानी समिति (एनजीटी द्वारा गठित) की बैठक में तथा दिसम्बर 2018 में उद्योग मंत्री, राराक्षेदिस द्वारा निरीक्षण के दौरान भी उजागर किया गया (दिसम्बर 2018)। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, डीएसआईआईडीसी ने दिसम्बर 2018 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान सर्वे किया और बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के क्रमशः 1,358 तथा 340 यूनिटों पर ₹ 50,000 प्रति यूनिट पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया। तथापि, जुलाई 2019 तक बवाना और नरेला औ.क्षे. में क्रमशः 510 यूनिटों तथा 180 यूनिटों ने ही जुर्माने का भुगतान किया।

डीपीसीसी द्वारा लेखापरीक्षा के आग्रह पर बवाना एवं नरेला औ.क्षे. में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के पानी के नमूने की नमूना-जाँच (सितम्बर 2019) से पता चला कि नौ नमूनों में से सात में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस), बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बीओडी) तथा केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (सीओडी) के ऊच्च स्तर असाधारण रूप से मौजूद थे जो दर्शाता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो केवल स्टॉर्म/बारिश का पानी ले जाने के लिए था, वास्तव में औद्योगिक अपशिष्ट ले जा रहा था, जैसा कि तालिका-2.2.2 में दिखाया गया है:

तालिका-2.2.2: सितम्बर 2019 में लिए गए बवाना और नरेला औ.क्षे. के स्टॉर्म वाटर ड्रेनों के नमूनों के परिणाम

	टीएसएस	बीओडी	सीओडी
अधिकतम अनुमत्य सीमा	100	30	250
बवाना स्क्रेप ड्रेन	280	110	360
बवाना औ.क्षे. सै.5	480	165	440
बवाना औ.क्षे. सै.5 पॉकेट पी नजदीक सीएनजी पम्प	140	135	396
बवाना स्क्रेप ड्रेन सै.5 पॉकेट पी के मिलने के बाद	160	135	440
बवाना आउटलेट सीईटीपी बवाना स्क्रेप ड्रेन से मिलने के पहले	40	25	84
नरेला औ.क्षे. रोड सं.55, बाँई ओर	244	125	368
नरेला औ.क्षे. रोड सं.55, दाँई ओर	972	200	680
नरेला औ.क्षे. रोड सं.102, दाँई ओर	926	180	540
नरेला औ.क्षे. रोड सं.102, बाँई ओर	50	28	100

इसके अलावा, सीईटीपी की स्थिति पर थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि रियायत समझौते की आवश्यकता थी। तथापि, अभिलेखों के अनुसार सीईटीपी के मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा था।

अतः, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर तथा सीईटीपी के परिचालन/अनुरक्षण में शिथिलता के बावजूद, डीएसआईआईडीसी अन्य प्राधिकारियों के निर्देशों से पूर्ण सेवा स्तर मानकों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा। 2018 के बाद भी, कमियाँ जीआरसी/एमबी बैठक में सूचित किए गए और लेखापरीक्षा द्वारा साइट विज़िट के दौरान भी देखा गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि जल-प्रदूषण को दूर करने के लिए नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों का डोर-टू-डोर सर्वे कराया गया तथा डिफॉल्टिंग यूनितों को नोटिस दिए गए। इसके अतिरिक्त, 2018-19 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीईटीपी में अपशिष्ट जल का प्रवाह बढ़ गया। इसने आगे कहा कि डीपीसीसी पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकारी है। यह भी कहा कि औ.क्षे. में कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो अपने अपशिष्ट जल को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेन में प्रवाहित कर रहे हैं।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक इकाइयों का डोर-टू-डोर सर्वे, जुर्माना तथा इकाइयों को सील करने का कार्य अन्य प्राधिकारियों⁸¹ द्वारा इसे गंभीरता से लेने के बाद ही किया गया था। आगे, औ.क्षे. के अनुरक्षण का कार्य रियायत प्राप्तकर्ताओं/डीएसआईआईडीसी का है और उन्हें पर्यावरण कानूनों के अनुसार इन औ.क्षे. में अपशिष्ट जल के उपचार तथा ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए था। यद्यपि, सीईटीपी की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है, बवाना और नरेला औ.क्षे. में सीईटीपी के क्षमता का क्रमशः केवल 71 प्रतिशत और 46 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो सका। अधिक प्रयास से, रियायत प्राप्तकर्ता/डीएसआईआईडीसी सीईटीपी में अपशिष्ट के प्रवाह में वृद्धि को सुनिश्चित कर सकता था। अनाधिकृत स्ट्रीट फूड वेंडर्स तथा ड्रेनों में अपशिष्ट प्रवाह के संबंध में इसे नियंत्रण करने के लिए डीएसआईआईडीसी पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसे करने में वह विफल रहा।

2.2.4.3 औद्योगिक क्षेत्रों की सफाई

रियायत समझौते की अनुसूची 2 के खण्ड 2 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता अन्य सेवाएँ, जैसे कि झाड़ू लगाना तथा सड़कों को कूड़े, झाड़ियों एवं मलबों से मुक्त रखना, कर्ब स्टोन की मरम्मत तथा रंगाई करना आदि के लिए उत्तरदायी थे। रियायत समझौते का सेवा स्तर मानकों (अनुसूची 3 ए (iii))

⁸¹ निगरानी समिति तथा उद्योग मंत्री, राराक्षेदिस

की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि सड़कों की सतहें बराबर हैं, क्षतिग्रस्त सड़कें मरम्मत की जाती हैं, फुटपाथ टूटे हुए नहीं हैं, सभी हरित क्षेत्र, पार्क और लैंडस्क्रैप क्षेत्र साफ हैं और उत्पन्न होने वाले सभी हरित कूड़े, कचरे तथा सिविल मलबे का निपटान किया जाता है, एमएसडब्ल्यू के लिए भंडारण की सुविधाएँ/कंटेनर्स/डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ उत्पन्न न हो।

तथापि, टीपीई द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध मासिक प्रतिवेदनों, औद्योगिक संघों द्वारा जीआरसी में उठाए गए शिकायतों तथा लेखापरीक्षा द्वारा औद्योगिक संघों/आबंटितियों से प्राप्त किए गए प्रतिपुष्टि के अनुसार, यह अवलोकन किया गया कि सड़कों तथा पेवर ब्लॉकों का मरम्मत, कचरे हटाने का कार्य धीमा था, पार्कों एवं ग्रीन बेल्टों में अपर्याप्त सिंचाई और डस्टबिन की स्थिति खराब थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि रियायत प्राप्तकर्ताओं पर उचित कार्रवाई/जुर्माने की सिफारिश न तो टीपीई द्वारा की गई और न ही डीएसआईआईडीसी द्वारा स्वयं जुर्माना लगाया गया, केवल मई 2018 में एक बार को छोड़कर जब मेसर्स बवाना पर ₹ 18.66 लाख का जुर्माना लगाया गया।

दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा तथा डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों द्वारा औ.क्षे. के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए निम्नलिखित चित्र औ.क्षे. की सफाई की खराब स्थिति को दर्शाती है।



चित्र 8 एवं 9: बवाना औ.क्षे. में सड़क के किनारे और खुले क्षेत्रों में कचरा/मलबा, जैसा कि दिसम्बर 2019 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 10 एवं 11: नरेला औ.क्षे. में सड़क के किनारे और खुले क्षेत्रों में कचरा/मलबा, जैसा कि जनवरी 2020 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दैनिक आधार पर अनुरक्षण कार्य/सेवाएँ की गईं और यदि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कमियाँ दूर नहीं की गईं तो जुर्माना लगाया गया तथापि, तथ्य यह है कि यद्यपि सेवाओं में कमियाँ नियमित रूप से देखे गए लेकिन डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ताओं पर नियमित रूप से जुर्माना फरवरी 2019 से लगाना शुरू किया।

2.2.4.4 अपर्याप्त जल आपूर्ति

डीएसआईआईडीसी बवाना में औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, ऐसा करने में यह विफल रहा और यह मुद्दा इकाइयों/संघों द्वारा जीआरसी बैठक में तथा लेखापरीक्षा द्वारा औद्योगिक संघों एवं आबंटितों से प्राप्त प्रतिपुष्टि द्वारा भी उजागर किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डीएसआईआईडीसी ने अपर्याप्त जल आपूर्ति का मुद्दा कई मौकों पर दिल्ली जल बोर्ड (दिजबो) के साथ उठाया पर इसने इस मामले को सरकार के स्तर पर कभी नहीं उठाया। आगे देखा गया कि डीएसआईआईडीसी के पास बवाना औ.क्षे. में 10 बोरवेल थे जो एसडीएम कार्यालय द्वारा सील कर दिए गए (सात 2016 में और तीन 2017 में)। दिजबो ने पर्याप्त जल आपूर्ति के अभाव में इन बोरवेलों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान किया परन्तु डीजेबी से इन बोरवेलों को नियमित करने के लिए आवश्यक कोडल औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गईं। यद्यपि डीएसआईआईडीसी ने दिजबो के साथ कोडल औपचारिकताएँ पूरी की (2017), परन्तु क्षेत्र में अतिरिक्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन बोरवेलों को डी-सील करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के साथ मुद्दा उठाने में यह विफल रहा।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि डीएसआईआईडीसी एसडीएम कार्यालय के साथ बोरवेल को डी-सील करने के मुद्दे का जोरों के साथ उठाया। तथापि, तथ्य यह है कि डीएसआईआईडीसी जल की अपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के साथ उच्च स्तर पर इन बोरवेलों को डी-सील करवाने के मुद्दे को उठाने में विफल रहा।

2.2.4.5 स्ट्रीट लाइटों का कार्यचालन

रियायत समझौते की अनुसूची 3 जी III, खण्ड 9.1.1 (सी) में वर्णित सेवा स्तर मानकों के अनुसार, गैर-कार्यचालन स्थिति में पाँच प्रतिशत से ज्यादा लाइटें नहीं होनी चाहिए और इसे शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए।

बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में आवधिक रूप से किए गए सर्वे के दौरान स्ट्रीट लाइटों के कार्यचालन की स्थिति तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में डीएसआईआईडीसी द्वारा किए गए सर्वे का विवरण

क्र.सं.	बवाना औद्योगिक क्षेत्र		नरेला औद्योगिक क्षेत्र	
	सर्वे की तिथि	कार्यचालन स्थिति में नहीं पाए गए स्ट्रीट लाइटों की प्रतिशतता	सर्वे की तिथि	कार्यचालन स्थिति में नहीं पाए गए स्ट्रीट लाइटों की प्रतिशतता
1	30 अगस्त 2018	28.70	31 अगस्त 2018	14.99
2	27 सितम्बर 2018	19.63	17 सितम्बर 2018	14.72
3	29 दिसम्बर 2018	15.73	17 अक्टूबर 2018	36.34
4	-	-	17 नवम्बर 2018	32.93

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइटों सेवा स्तर के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। तथापि, डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि इन औ.क्षे. में स्ट्रीट लाइटों के सर्वे में पायी गई कमियों को रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुमत्य समय के भीतर पुरे कर दिए गए। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा इन कमियों को 48 घंटे के अनुमत्य समय के बाद ठीक किए गए।

2.2.5 निगरानी तंत्र में कमियाँ

ऊपर चर्चा की गई कमियों से अलग, बवाना और नरेला औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण का डीएसआईआईडीसी/टीपीई द्वारा की गई निगरानी तथा पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कमियाँ भी पायी गई:

2.2.5.1 थर्ड पार्टी इंजीनियर द्वारा रिपोर्टिंग में कमियाँ

रियायत समझौते की अनुसूची 5 के खण्ड 4 के अनुसार, टीपीई रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा परियोजना सुविधाओं के अनुरक्षण पर दिए गए मासिक स्थिति प्रतिवेदन की समीक्षा करेगा और उस पर अपनी टिप्पणी डीएसआईआईडीसी तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं को भेजेगा। उपरोक्त के अलावा, टीपीई साइटों का निरीक्षण करने के बाद यदि कोई कमियाँ हो, खास तौर पर विनिर्देश एवं मानकों के संदर्भ में तो उनका उल्लेख करते हुए। नियमित आवधिक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) (कम से कम महीने में एक बार) डीएसआईआईडीसी को प्रस्तुत करेगा, और रियायत प्राप्तकर्ता नि.प्र. में बताए गए ऐसी कमियों यदि कोई हो, को ठीक करेगा। टीपीई रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय की समीक्षा करेगा और निर्धारित करेगा कि समझौते के अनुसार मरम्मत या सुधारात्मक कार्यों के पूरा होने में कोई देरी हुई है या नहीं, और इस तरह की देरी एवं कमियों के लिए डीएसआईआईडीसी को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा देय क्षति/जुर्माना, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई अपनी मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं में कमियों को नियमित रूप से अवलोकन करता आ रहा था और इस तरह की कमियों को डीएसआईआईडीसी को नियमित रूप से सूचित भी कर रहा था जैसा कि **अनुलग्नक-2.10** में विस्तृत है परन्तु इसके द्वारा प्रस्तुत मासिक नि.प्र. में ये सूचित नहीं किए गए थे। नि.प्र. में कमियों को सूचित करने के परिणामस्वरूप त्वरित सुधारात्मक उपाय होता, क्योंकि सुधारात्मक कार्रवाई में कोई भी देरी रियायत प्राप्तकर्ताओं पर क्षति/जुर्माना होगा।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि अन्य एजेंसियों जैसे कि ईपीसीए, एनजीटी और उद्योग विभाग द्वारा उजागर की गई तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमित रूप से उठाई गई कमियों (सड़कों की सफाई, ग्रीन बेल्टों और पार्कों आदि की सिंचाई में तेजी को छोड़कर) को टीपीई द्वारा अपनी नि.प्र. में कभी नहीं सूचित किया गया। इसके अलावा, डीएसआईआईडीसी ने टीपीई को प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में उसकी विफलता के लिए चेतावनी नहीं दिया। यद्यपि टीपीई का निष्पादन संतोषजनक नहीं था, टीपीई के साथ किए गए समझौते में जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि पैरा 2.2.3 में वर्णित है।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि टीपीई/डीएसआईआईडीसी द्वारा पायी गई कमियों को नियमित रूप से रियायत प्राप्तकर्ताओं को सूचित किया गया और यदि शिकायत निवारण में देरी हुई तो समझौते के अनुसार जुर्माना लगाया गया।

उत्तर टीपीई के असंतोषजनक निष्पादन का मुद्दा तथा समझौते में जुर्माना खण्ड का गैर-समावेश की व्याख्या नहीं करता है।

2.2.5.2 शिकायत तंत्र और उस पर कार्रवाई में कमियाँ

रियायत समझौते के खण्ड 10.3 और 10.4 रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा शिकायत/परिवाद सुलझाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है तथा निम्नलिखित तथ्य प्रदान करता है:

- विभिन्न विवरणों के साथ शिकायत दर्ज करने तथा उस पर की गई कार्रवाई के लिए एक शिकायत पंजिका का रखरखाव।
- डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ताओं के परामर्श से इलेक्ट्रॉनिक रूप (वेब पोर्टल सहित) में शिकायत करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

आगे, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दिए गए शिकायत पंजिका के आधार पर शिकायत निवारण के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं को सलाह देना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- यद्यपि शिकायत पंजिका का रखरखाव किया गया था पर बवाना के शिकायत पंजिका में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए प्रविष्टि से इंगित हुआ कि 22,753 शिकायतें दर्ज की गई, औसतन 21 शिकायतें प्रतिदिन (लगभग 632 प्रति माह)। इसीप्रकार, नरेला औ.क्षे. का अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए शिकायत पंजिका से इंगित हुआ कि 9,428 शिकायतें दर्ज की गई, औसतन नौ शिकायतें प्रतिदिन (लगभग 262 प्रतिमाह)।
- दोनों औ.क्षे. में ई-शिकायत पोर्टल अस्तित्व में नहीं था।
- टीपीई ने अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में शिकायतों/की गई सुधारात्मक कार्रवाई के समापन की पुष्टि करने वाली साक्ष्य के अभाव पर शिकायत संबंधी मुद्दे को बार-बार सूचित किया पर शिकायत पंजिका की छायाप्रति न तो हस्ताक्षरित कि जा रही थी न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं के किसी प्रतिनिधि द्वारा मुहर लगाए जा रहे थे तथा शिकायत दूर करने के बाद

की गई कार्रवाई की सत्यता को संबल करने के लिए शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर नहीं लिया गया। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा शिकायत पंजिका का ठीक तरीके से रखरखाव करने के लिए टीपीई के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुरक्षण करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक कार्रवाई न तो टीपीई द्वारा प्रस्तावित किया गया और न ही डीएसआईआईडी द्वारा कार्रवाई की गई।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि बवाना और नरेला में शिकायतों की पंजिका का रखरखाव किए जा रहे थे जिसमें बवाना के लिए कॉल सेन्टर की सुविधा भी शामिल है और प्राप्त सभी शिकायतें दर्ज किए गए और दूर किए गए (कॉल सेन्टर सहित)। आगे, बवाना में ऑन लाईन शिकायत सिस्टम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि टीपीई ने अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में शिकायत संबंधित मुद्दों को बार-बार सूचित किया था। कमियों को भी जीआरसी बैठक में नियमित रूप से सूचित किए गए जो इंगित करता है कि शिकायत निवारण तंत्र संतोषजनक नहीं था।

2.2.5.3 शिकायत निवारण समिति तथा मेनटेनेन्स बोर्ड के माध्यम से दोनों औ.क्षे. में अप्रभावी सर्वेक्षण

रियायत समझौते का खण्ड 10.5 के अनुसार डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों, रियायत प्राप्तकर्ताओं और यूनिटों के संघों/ औद्योगिक संपदा अधिभोगियों के साथ मिलकर डीएसआईआईडीसी एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का गठन करेगा। औद्योगिक संपदा में यूनिटों/अधिभोगियों से प्राप्त शिकायत की स्थिति में, जीआरसी रियायत प्राप्तकर्ता को नोटिस भेजेगा जो सात दिनों के भीतर उस पर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। जवाब के आधार पर, जीआरसी का निर्णय रियायत प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा जो इस पर बाध्यकारी होगा। डीएसआईआईडीसी, जीआरसी के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर समझौते के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकता है, यदि कोई हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी द्वारा जीआरसी का गठन सितम्बर 2017 में अर्थात् समझौते की तिथि से छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद किया गया। इसप्रकार, जीआरसी का गठन होने तक शिकायत निवारण के लिए कोई तंत्र नहीं था, जिससे रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचा और लाभार्थियों का हित असुरक्षित रह गया।

जीआरसी के बैठक की कार्यवृत्त की संवीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अनेक कमी संबंधी मुद्दे⁸² आवंटितियों (औद्योगिक इकाईयों) और उनके संघों द्वारा बार-बार उठाए गए। डीएसआईआईडीसी/टीपीई ने जीआरसी बैठक और जीआरसी द्वारा लिए गए निर्णय के दौरान की गई शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, डीएसआईआईडीसी आवधिक निरीक्षणों आदि के माध्यम से परियोजना सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने के लिए रियायत समझौते के खण्ड 10.6 के अनुसार मेनटेनेन्स बोर्ड⁸³ (एमबी) का गठन अगस्त 2017 तक करने में विफल रहा। यहाँ तक कि जब गठन हो गया, एमबी द्वारा परियोजना सुविधा का कोई निरीक्षण नहीं किया गया परिणामस्वरूप परियोजना सुविधाओं का अप्रभावी पर्यवेक्षण हुआ।

सरकार ने जीआरसी तथा एमबी की सूचना में देरी को स्वीकार किया (अगस्त 2020) और कहा डीएसआईआईडीसी, रियायत प्राप्तकर्ताओं, टीपीई, औद्योगिक संघ इकाई धारकों के कार्यालय बवाना और नरेला औ.क्षे. में अवस्थित हैं, इसलिए नियमित बातचीत किए जा रहे थे और पायी गई कमियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे।

तथापि, तथ्य यह है कि चूँकि बवाना और नरेला औ.क्षे. 2,418 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, सभी औद्योगिक इकाई धारक व्यक्तिगत रूप से प्राधिकारी के संपर्क में होने की स्थिति में नहीं होंगे तथा अधिक मजबूत शिकायत तंत्र के होने की जरूरत है, जैसे जीआरसी और एमबी जो शिकायतों की उचित एवं समयबद्ध निवारण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा। आगे, डीएसआईआईडीसी ने सेवाओं में कमियों के लिए नियमित रूप से मासिक आधार पर जुर्माना लगाना फरवरी 2019 के बाद से शुरू किया।

2.2.5.4 सेवा सुविधाओं के प्रबंधन के लिए इनपुट डाटा की कमी

डीएसआईआईडीसी बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के रोजमर्रा के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी था, परन्तु इसके पास औद्योगिक इकाईयों से संबंधित कोई डाटा नहीं था, जैसे कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्रदान करना, व्यापार/विनिर्माण गतिविधि, व्यापार में बदलाव, लाइसेंस का नवीनीकरण, फायर विभाग तथा डीपीसीसी से वैध एनओसी, वाटर इंटेन्सिव यूनिट, प्रत्येक

⁸² ड्रेनों और सीवर लाईन का रूकावट, खुले/खाली प्लॉटों में ठोस औद्योगिक अपशिष्ट का डम्पिंग, सड़कों और पार्कों की सफाई, अनंतिम सीईटीपी शुल्क की वसूली

⁸³ डीएसआईआईडीसी द्वारा नामित अधिकारी, डीपीसीसी का प्रतिनिधि, रियायत प्राप्तकर्ता, और औद्योगिक कल्याण संघ शामिल हैं। डीएसआईआईडीसी द्वारा गठित एमबी के सदस्यों में डीपीसीसी का प्रतिनिधि नहीं था।

औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक एवं ठोस अपशिष्ट की औसत मात्रा, व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई द्वारा टीपीई का अधिष्ठापन/ओएण्डएम तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या आदि।

ऐसी सूचना तथा नियंत्रण तंत्र के अभाव में, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के प्रभावी निपटान के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा अभिनियोजित किए जाने वाले श्रम शक्ति/उपकरण आदि की आवश्यकता जिसमें सड़कों/पार्कों/खाली पड़े भूखण्डों की नियमित सफाई तथा स्ट्रीट लाईटों का अनुरक्षण आदि शामिल है, जो अन्ततः कमी वाली सेवाओं में परिलक्षित हुई है, का सही रूप से आँकलन नहीं कर सका एवं निर्धारित तथा निगरानी नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि बवाना औ.क्षे. में जनवरी 2018 में विस्फोटक सामग्री/पटाखे बनाने वाली यूनिट में आग की एक बड़ी घटना हुई जो दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में उद्योगों के निषिद्ध सूची में है।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि चूँकि ये क्रियाकलाप डीएसआईआईडीसी के कार्यक्षेत्र में नहीं आते इसलिए डीएसआईआईडीसी द्वारा इनकी निगरानी नहीं की जाती है। आगे, यह कहा गया कि श्रमशक्ति तथा मशीन/उपकरण की आवश्यकता निर्धारित नहीं किए गए थे लेकिन सेवा स्तर के मानकों का रियायत समझौते में अनुबंध किया गया है।

तथ्य यह है कि डीएसआईआईडीसी/टीपीई, इन औ.क्षे. का संपदा प्राधिकारी होने के नाते, औद्योगिक इकाईयों से इन पहलुओं पर आवधिक सूचना संग्रह करने के लिए तंत्र निर्धारित करके सुविधाओं की आवश्यकता का बेहतर आँकलन कर सकता था तथा सेवा स्तर मानकों को प्रभावी ढंग से अधिरोपित करके इन औ.क्षे. का प्रबंधन कर सकता था।

2.2.6 निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लिए औद्योगिक नीति 2010-21 में औद्योगिक क्षेत्रों (औ.क्षे.) के बेहतर परिचालन एवं अनुरक्षण के माध्यम से अवसंरचना के विकास की कल्पना की गई। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों की व्यवस्थित स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उनके परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल थे। बवाना और नरेला राराक्षेदिस में दो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और सभी औ.क्षे. के कुल क्षेत्र का 52 प्रतिशत हिस्सा है।

बवाना और नरेला औ.क्षे. के पुनर्विकास तथा परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य 15 सालों की अवधि के लिए क्रमशः मेसर्स बवाना इन्फ्रा डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स बवाना) और मेसर्स पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रियल इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स पीएनसी) को आवंटित किया गया। औ.क्षे. के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

इन दोनों औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण की लेखापरीक्षा से पता चला कि रियायत समझौते के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्य के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के संबंध में डीएसआईआईडीसी की तरफ से गंभीर कमियाँ थीं। डीएसआईआईडीसी के पास न तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा देय और भुगतान किए गए शुल्कों का पूरा ब्यौरा था, और न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं को संग्रह की गई राशि हस्तांतरित करने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आय एवं व्यय का आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया था। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा ओएण्डएम गतिविधियों पर किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त किए बिना ही मासिक अनुरक्षण शुल्कों में वृद्धि की अनुमति देकर रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए गए।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्क का संग्रहण अनाधिकृत था और उसके समायोजन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, पार्किंग शुल्कों के समायोजन में भी विलम्ब था। आगे बवाना औ.क्षे. में पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों के साथ-साथ बिजली एवं पानी बिलों के समायोजन में विलम्ब था। पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों, पार्किंग शुल्कों, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बिजली एवं पानी के बिलों का समय पर भुगतान, उचित अपशिष्ट निपटान आदि जैसे मुद्दों पर समझौता में उचित विचार नहीं किया गया जिससे बाद के चरणों में परिचालन संबंधी समस्याएँ पैदा हुईं। इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं के साथ किए गए समझौते प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण थे। इससे नरेला के रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों का गैरकानूनी संग्रह भी हुआ है।

डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुपयुक्त निगरानी से प्रतिकूल पर्यावरणीय उलझाव हुआ, जैसे इन औ.क्षे. में एमएसडब्ल्यू के गैर-निपटान एवं संचय से ड्रेनों और सीवरों का जाम होना तथा औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों में

प्रवाहित किया जाना सड़कों की अपर्याप्त सफाई, पार्कों की सिंचाई एवं सफाई तथा मरम्मत कार्य की धीमी प्रगति आदि इनके उदाहरण थे।

यद्यपि, टीपीई परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियों की लगातार घटनाओं को उजागर कर तथा जुर्माने की वसूली की सिफारिश कर अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में विफल रहा, टीपीई को एक्टेंशन देते समय इस उपबंध को निगमित करने के लिए सीएमडी से निर्देशों के बावजूद डीएसआईआईडीसी टीपीई के साथ किए गए समझौते में दण्डात्मक उपबंध के अभाव में टीपीई के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

शिकायत निवारण तंत्र प्रर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

2.2.7 अनुशंसाएँ

डीएसआईआईडीसी को जरूरत है:

- यह सुनिश्चित करना कि परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए कोई भी नया समझौता में पानी कनेक्शन, सीवेज कनेक्शन तथा पार्किंग शुल्कों की वसूली से संबंधित उपयुक्त प्रावधान है ताकि गैरकानूनी/अनापेक्षित मुद्रा संग्रह/आकस्मिक व्यय से बचा जा सके।
- रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नियमित आधार पर किए जा रहे ओएण्डएम गतिविधियों की अधिक प्रभावी निगरानी एवं पर्यवेक्षण;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं की आय एवं व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त करना तथा मासिक संग्रहण शुल्कों के उचित लेखे को सुनिश्चित करना ताकि रियायत प्राप्तकर्ता रियायत समझौते द्वारा अनुमत्य शुल्कों के अलावा कोई अन्य शुल्क की वसूली न करे। इसके अतिरिक्त, रियायत प्राप्तकर्ताओं से किए गए वसूलियों का मासिक आधार पर नियमित समायोजन होना चाहिए।
- सेवाओं में कमियों के लिए जवाबदेही तय करने हेतु जुर्माना लगाने के लिए टीपीई के साथ समझौते में उपयुक्त उपबंध निगमित करना;
- एमएसडब्ल्यू के निपटान तथा जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों की निगरानी करना और उसका नियमित आधार पर निपटान करना, ताकि पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा ओएण्डएम गतिविधियों को लागू करने में औद्योगिक इकाइयों/संघों के शिकायतों के निपटान में जीआरसी की अधिक प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करना और शिकायतों का समय से

निवारण न करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की सिफारिश करना।

2.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर देयता की समयोचित मूल्यांकन करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता तथा अग्रिम कर का अनुवर्ती गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 कहता है कि अग्रिम कर किस्तों में भुगतान किया जाना है जो जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के 15 तारीख को देय है। अधिनियम की धारा 234बी प्रति माह या किसी महीने के हिस्से पर एक प्रतिशत साधारण ब्याज लगाने का प्रबंध करता है, जब कर दाता अग्रिम कर चुकाने में विफल हो गया हो या जहाँ चुकाया गया अग्रिम कर निर्धारित कर का 90 प्रतिशत से कम है। अधिनियम की धारा 234सी अग्रिम कर के किस्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रबंध करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2019) कि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) ने मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में अपने कर योग्य आय का आकलन ₹ 92.38 करोड़ किया (मार्च 2018) तथा तदनुसार, अपने आयकर दायित्व की गणना ₹ 31.97 करोड़ किया और अग्रिम कर के रूप में ₹ 31.11 करोड़⁸⁴ मार्च 2018 तक भुगतान कर दिया। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने बाद में अपने आयकर योग्य राशि को संशोधित कर ₹ 184.88 करोड़ कर दिया (सितम्बर 2018) तथा तदनुसार आयकर दायित्व की गणना ₹ 63.98 करोड़ किया। कर योग्य आय के संशोधन में अन्तर मुख्य रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (केओसुब) को बेचे गए फ्लैटों से ₹ 66.50 करोड़ के लाभ के लेखांकन के कारण था। डीएसआईआईडीसी ने ₹ 32.87 करोड़ (₹ 63.98 करोड़ - ₹ 31.11 करोड़) की आयकर की राशि का कम भुगतान किया तथा धारा 234बी तथा 234सी के अधीन सितम्बर 2018 में दण्ड के रूप में ₹ 3.74 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि फ्लैट के लिए भुगतान सितम्बर 2015 से जून 2017 के बीच प्राप्त हुआ तथा सीआईएसएफ को फ्लैट सौंपे जाने की प्रक्रिया भी जून 2017 तक पूरा हो गया परन्तु डीएसआईआईडीसी अनुमानित आय से होने वाले लाभ का लेखांकन करने में विफल रहा। डीएसआईआईडीसी यदि मार्च 2018 से पहले अग्रिम कर की गणना हेतु ₹ 66.50 करोड़ के लाभ का लेखांकन किया होता तथा सितम्बर 2018 में 2017-18 के वार्षिक लेखे को

⁸⁴ ₹ 31.11 करोड़ (₹ 22.47 करोड़ अग्रिम कर तथा ₹ 8.64 करोड़ टीडीएस) मार्च 2018 तक

अंतिम रूप देते समय शामिल किया होता तो ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि डीएसआईआईडीसी ने ₹ 28.64 करोड़ के व्यवसायिक व्ययों की स्वीकार्य कटौती का दावा करके नई कानूनी धारणा के आधार पर कर योग्य आय को संशोधित किया है। संशोधित कर योग्य आय के कारण, धारा 234बी तथा 234सी के अधीन ₹ 3.74 करोड़ के पूर्व-संशोधन ब्याज के मुकाबले ₹ 2.64 करोड़ आकलित होता है। यह भी कहा गया कि डीएसआईआईडीसी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम कर का अनुमान लगाते समय सटीक कर योग्य लाभ पर विचार नहीं कर सका, क्योंकि कम लागत वाली आवासीय परियोजना की लागत मध्यस्थता दायित्व में ठेकेदार के लंबित दावे के कारण 100 प्रतिशत निर्धारित नहीं थी (अभी भी लंबित) और इस कारण से, यह सामान्य दिनचर्या आय नहीं थी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि डीएसआईआईडीसी के औसुब को फ्लैटों की बिक्री से अर्जित लाभ तथा सितम्बर 2015 और जून 2017 के बीच भुगतान की प्राप्ति से भलीभाँति परिचित था, तथा तदनुसार अग्रिम कर 31 मार्च 2018 तक चुकाया जाना था। आगे, तर्क है कि लंबित मध्यस्थता मुकदमा में मेरिट नहीं होने से मध्यस्थता मामले की वस्तु-स्थिति सितम्बर 2018 में वही रही जब डीएसआईआईडीसी ने धारा 234बी तथा 234सी के अधीन ब्याज सहित कर जमा किया था, जिसके कारण फ्लैटों की कीमत मार्च 2018 तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, सरकार का यह जवाब कि व्यवसायिक व्यय के रूप में ₹ 28.64 करोड़ का दावा करके संशोधित प्रतिफल मार्च 2020 तक मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष विचार हेतु दायर किया गया, संतोषजनक नहीं है क्योंकि उसकी स्वीकृति आयकर विभाग द्वारा अंतिम आकलन पर निर्भर करती है।

आयकर देयता की समयोचित मूल्यांकन करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता तथा अग्रिम कर का अनुवर्ती गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

विद्युत विभाग

प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड

2.4 कम बीमा किए जाने के कारण ₹ 22.83 करोड़ की हानि

पीपीसीएल को ₹ 22.83 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि इसने अपने ऊर्जा संयंत्र का बीमा लेते समय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के मूल्य को शामिल न कर “मशीनरी ब्रेकडाउन” के अन्तर्गत संपत्ति का कम मूल्यांकन किया था।

प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड (पीपीसीएल) ने बवाना में 2012 में कमीशन किए गए अपने 1,371.20 मे.वा. ऊर्जा संयंत्र हेतु 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के प्रीमियम पर औद्योगिक समस्त जोखिम बीमा पॉलिसी लिया (फरवरी 2015) जिसमें मानक अग्नि तथा विशेष आपदा के अन्तर्गत समस्त जोखिम शामिल था तथा अपने संयुक्त चक्र बिजली स्टेशन हेतु ₹ 4,321.09 करोड़ की बीमा राशि के साथ विशेष जोखिम लिया जिसमें भूकम्प (₹ 4,534.34 करोड़ प्लिन्थ नींव सहित), लाभ की अग्नि से नुकसान (₹ 1,187.39 करोड़) तथा मशीनरी ब्रेकडाउन (₹ 3,152.27 करोड़) शामिल हैं।

बीमा पॉलिसी की धारा 1 की विशेष शर्तों के खण्ड 1 के अनुसार, यह आवश्यकता थी कि पॉलिसी के शेड्यूल में बताई गई बीमाकृत राशि पुनर्स्थापन/ प्रतिस्थापन लागत⁸⁵ से कम नहीं होगी मानो बीमा की अवधि के पहले दिन ऐसी संपत्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा किया कि यद्यपि 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए पॉलिसी में बीमाकृत राशि पुनर्स्थापन/प्रतिस्थापन लागत के आधार पर था, परन्तु पीपीसीएल ने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की पूँजी लागत के आधार पर मशीनरी ब्रेकडाउन के लिए संपत्ति का बीमा कराया जिसमें मेगा ऊर्जा संयंत्र⁸⁶ होने के कारण छुट होने पर उत्पाद एवं कस्टम शुल्क शामिल नहीं है।

⁸⁵ बीमा की पुनर्स्थापन लागत संपत्तियों की बीमा राशि जिसमें लागत प्लस देय कर एवं शुल्क शामिल है, पर आधारित है।

⁸⁶ वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. 21/2002-कस्टम्स तिथि 1 मार्च, 2002 पठित सं. 49/2006- कस्टम्स तिथि 26 मई, 2006 के अनुसार, मेगा ऊर्जा संयंत्र हेतु पूँजीगत उपकरण की आयात कस्टम ड्युटी मुक्त होगा। निर्दिष्ट मेगा ऊर्जा संयंत्र के लिए आपूर्ति किए गए कुछ निर्दिष्ट सामान जैसे कि मशीनरी, अपारेटस, उपकरण, केबल, कम्पोनेन्ट्स अथवा कच्चा सामग्री अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च 2012 के अधीन प्रविष्टि सं. 338 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छुट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने नोट किया (मार्च 2019) कि ऊर्जा संयंत्र का एक गैस टर्बाइन (जीटी-1) 16 जुलाई 2015 को क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आवश्यक मरम्मत के बाद दिसम्बर 2016 तक सेवा में वापस लाया गया। पीपीसीएल ने सामग्री, संबद्ध पार्ट्स खरीदने में तथा जीटी रोटर के मरम्मत पर समतुल्य राशि खर्च किया तथा मशीनरी ब्रेकडाऊन क्लॉज के अन्तर्गत मार्च 2017 में बीमा कम्पनी (मेसर्स ओरिएण्टल कं.लि.) पर ₹ 112.06 करोड़ का दावा ठोका जिसके विरुद्ध 29 मार्च 2017 को ₹ 50.00 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। सर्वेक्षक ने बीमा कर्त्ता की शुद्ध देयता का ₹ 88.02 करोड़ आकलन किया (अगस्त 2018)। सर्वेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर, बीमा कम्पनी ने देय विशुद्ध देयता ₹ 83.62 करोड़⁸⁷ निकाला। तथा ₹ 33.58 करोड़ की शेष राशि (₹ 0.04 करोड़ का कुछ शुल्क) का भुगतान 14 नवम्बर 2018 को जारी किया। विशुद्ध देयता निकालने के लिए बीमा कम्पनी ने सर्वेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कम बीमा (21.44 प्रतिशत) के कारण ₹ 112.05 करोड़ के नुकसान में से ₹ 24.02 करोड़ घटाया। इसके परिणामस्वरूप पीपीसीएल⁸⁸ को ₹ 22.83 करोड़ का विशुद्ध नुकसान हुआ।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि पीपीसीएल ने बाद में पुनर्स्थापन लागत में उत्पाद एवं कस्टम शुल्क को शामिल कर 7 फरवरी 2018 से 6 फरवरी 2019 तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी लिया। यदि पीपीसीएल 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए पुनर्स्थापन लागत में उत्पाद एवं कस्टम शुल्क शामिल करने के बाद पुनर्स्थापन लागत पर पॉलिसी का नवीनीकरण किया होता, जैसाकि 7 फरवरी 2018 से 6 फरवरी 2019 तक की अवधि के लिए किया था, तो ₹ 22.83 करोड़ के नुकसान से बच जाता।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (27 जुलाई 2020) और कहा कि पीपीसीएल द्वारा आगे की अवधि के लिए पुनर्स्थापन की लागत का ध्यान रखा गया है।

⁸⁷ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 5 प्रतिशत के हिसाब से ₹ 4.40 करोड़ की कटौती के बाद

⁸⁸ बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर 5% के रूप में ₹ 24.02 करोड़ @ 95 प्रतिशत काटा जाना था।

पर्यटन विभाग

दिल्ली पर्यटन एवं यातायात विकास निगम लिमिटेड

2.5 सेवा कर की गैर-वसूली

डीटीटीडीसी रियायत प्राप्त कर्ता से समयोजित सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से भुगतान किया।

सड़कों के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली पर्यटन एवं यातायात विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी) को राष्ट्रमण्डल खेलों के आसपास के क्षेत्रों में चिन्हित पीडब्ल्यूडी सड़कों पर स्ट्रीट फर्नीचर⁸⁹ लगाने तथा रख-रखाव करने की परियोजना के लिए आवेदकों को बोली दस्तावेज जारी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी और चयनित बोलीदाताओं के साथ-सात वर्षों की अवधि के लिए रियायत समझौता किया। तदनुसार, डीटीटीडीसी ने चार रियायत प्राप्तकर्ताओं के साथ पाँच क्लसटर्स⁹⁰ के लिए रियायत समझौता किया (मई 2010)।

समझौता के अनुच्छेद 4.9(आर) के अनुसार, रियायत प्राप्त कर्ता समस्त करों, शुल्कों और व्यय का भुगतान करने का उत्तरदायी था। तदनुसार, चार रियायत प्राप्त कर्ता सेवा प्राप्त कर्ता होने के नाते विज्ञापन हेतु जगह की बिक्री के लिए सेवा कर⁹¹ के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने नोट किया (जून 2019) कि डीटीटीडीसी द्वारा नवम्बर 2011 से जून 2012, अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 60.50 लाख की सेवा कर रियायत प्राप्त कर्ताओं से संग्रह नहीं किया गया तथा सेवा कर विभाग में जमा नहीं कराया गया। तथापि, जुलाई 2016 में, डीटीटीडीसी ने वर्ष 2015-16 का ब्याज ₹ 4.20 लाख सहित सेवा कर ₹ 26.74 लाख अपनी कोष से जमा किया, यद्यपि इसका त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जाना था।

⁸⁹ कार्य जैसे कि ट्रैफिक/पुलिस बूथ, वेंडिंग कियोस्क, सार्वजनिक शौचालयों, ट्री गार्ड्स, इस्टबीन, सूचना पैनल बेंच तथा फ्री स्टैंडिंग पैनल एवं ऑटो प्रोपेड बूथ इत्यादि।

⁹⁰ क्लस्टर 1- दिल्ली विश्वविद्यालय, क्लस्टर 2-इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्लस्टर 3- आर के खन्ना टेनिस परिसर, क्लस्टर 4- श्री फोर्ट स्पोर्ट्स परिसर तथा डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज एवं क्लस्टर 5- खेल गांव तथा यमुना स्पोर्ट्स परिसर।

⁹¹ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडएम) के अनुसार

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2016 तथा नवम्बर 2017 में बताए जाने पर डीटीडीडीसी द्वारा नवम्बर 2011 से मार्च 2012 तथा अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि का सेवा कर क्रमशः ₹ 17.99 लाख तथा ₹ 15.77 लाख के साथ ₹ 23.86 लाख तथा ₹ 10.62 लाख ब्याज अपनी कोष से नवम्बर 2017 तथा जनवरी 2017 में जमा कराया गया। डीटीडीडीसी ने, सेवा कर कानून जो यह प्रावधान करता है कि सेवा प्रदाता चाहे अपने ग्राहक से भुगतान प्राप्त करे या नहीं, वह उसके द्वारा दी गई सेवा के संबंध में कानूनी तौर पर सेवा कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य है, के अनुसार ब्याज सहित सेवाकर अपने कोष से जमा किया।

डीटीडीडीसी ने उक्त अवधि के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं से उसके द्वारा चुकाए गये सेवा कर तथा ब्याज की वसूली का मुद्दा उठाया परन्तु 2015-16 का सेवा कर मात्र ₹ 5.27 लाख ही वसूल कर सका।

सरकार ने कहा (मार्च 2020) कि डीटीडीडीसी पहले ही रियायत प्राप्त कर्ता के साथ सेवा कर की प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा चुका है जिसे डीटीडीडीसी द्वारा सेवा कर विभाग को जमा करा दिया गया है। आगे, अप्रैल 2016 के बाद से डीटीडीडीसी सभी रियायत प्राप्त कर्ताओं को फीस के लिए लगातार बीजक जारी कर रहा है और वे नियमित रूप से सेवा कर/जीएसटी के साथ फीस जमा करा रहे हैं। इसने आगे कहा कि डीटीडीडीसी द्वारा चुकाए गए सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए सभी रियायत प्राप्त कर्ताओं को कानूनी नोटिस जारी किया गया है (7 जनवरी 2020)। हालाँकि तथ्य यह है कि डीटीडीडीसी द्वारा रियायत प्राप्त कर्ताओं के तरफ से जमा कराया गया सेवा कर अभी तक वसूल नहीं हुआ है (सितम्बर 2020)।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि सेवा कर चुकाने का दायित्व रियायत प्राप्तकर्ताओं का था तथा समझौता में रियायत प्राप्तकर्ता से सेवा कर वसूल करने का प्रावधान था, डीटीडीडीसी रियायत प्राप्तकर्ता से समयोचित सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से चुकाया।

